बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956

(1956 का बिहार अधिनियम 22)

(इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति 6 सितम्बर, 1956 को प्राप्त हुई, और यह अनुमति पहली बार 10 अक्तूबर, 1956 के बिहार राजपत्र में प्रकाशित की गयी।)

जोतों के समेकन एवं खंडकरण के निवारण का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मण्डल यह अधिनियम बनाता है:—

टिप्पणी

[उ०प्र० (समान) अधिनियम— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल नहीं है ए० आई० आर० 1959 एस०सी० 564.]

अध्याय ।

प्रारम्भिक ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।—(1) इस अधिनियम का नाम बिहार जोत समेकन एवं खंण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होगा जो बिहार सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी।

टिप्पणी

[चकबन्दी कानून का जिले या प्रांत के सभी भागों में एक साथ लागू नहीं किया जाना, कानून में विकार या दोष पैदा नहीं करता: **राम वृत सिंह बनाम बिहार सरकार**, 1979 बी० बी० सी०जे० 259 ।]

2. परिभाषाएँ ।—इस अधिनियम में, जबतक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो:—

(1) ''कृषि-वर्ष'' से अभिप्रेत है अप्रील के प्रथम दिन से प्रारम्भ होनेवाला वर्ष;

(2) ''समेकन पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा पदाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन, समेकन पदाधिकारी के किसी या सभी कृत्यों का निर्वहण करने के लिए नियुक्त किया गया हो और वह राजपत्रित पंक्ति का पदाधिकारी होगा;

(2-क) ''सहायक समेकन पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा पदाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन सहायक समेकन पदाधिकारी के किसी या सभी कृत्यों का निर्वहण करने के लिए नियुक्त किया गया हो, और जो कानूनगो से निम्न पंक्ति का पदाधिकारी न हो;

(3) ''समेकन'' के अंतर्गत किसी जोत या विभिन्न जोतों में समाविष्ट ऐसे भू-खण्डों की ऐसी जोत या जोतों को अधिक संहत (कम्पैक्ट) बनाने के प्रयोजनार्थ की गयी पुनर्व्यवस्था भी आती है;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, जोत के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे:—

(i) ऐसी भूमि, जो उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्त्ती कृषि-वर्ष में बाग-बगीचा रही हो, जिस वर्ष में धारा 3 के अधीन अधिसूचना निर्गत हुई थी,

(ii) नदी-क्रिया और गहन-भूमि कटाव से ग्रस्त भूमि,

Scanned with OKEN Scanner

(iii) ऐसे संहत क्षेत्र जो सामान्यतया बहुत समय तक जलाक्रांत हो;

(iv) ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें समेकन-निदेशक समेकन के प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त घोषित करे,

(3-क) ''चक'' से अभिप्रेत है भूमि का ऐसा हरेक खण्ड जो समेकन के बाद रैय्यत या दर-रैय्यत को आवंटित किया गया हो;

(3-ख) ''आयतीकरण'' से अभिप्रेत है समेकन के दौरान चकों का आवंटन विनियमित करने के उद्देश्य से किसी यूनिट के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के आयतों या आयत के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया;

(4) ''समेकन निदेशक'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन, समेकन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति, और इसके अंतर्गत अपर समेकन निदेशक और संयुक्त समेकन निदेशक भी होंगे;

(4-क) ''उप समेकन-निदेशक'' से अभिप्रेत है अपर जिला कलक्टर से अन्यून पंक्ति का ऐसा पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार ने, समेकन निदेशक की उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्त्तव्यों का सम्पादन करने के लिए, जो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किये जायं, इस रूप में नियुक्त किया हो और उसके अंतर्गत सहायक समेकन निदेशक भी होगा;

(4-ख) ''सहायक समेकन निदेशक'' से अभिप्रेत है, उप-कलक्टर से अन्यून पंक्ति का ऐसा पदाधिकारी, उसे राज्य सरकार ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सहायक समेकन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का सम्पादन करने के लिए इस रूप में नियुक्त किया हो;

(5) ''खंड'' से अभिप्रेत है निम्नलिखित से कम क्षेत्रफल की भूमि का टुकड़ा:—

(क) तोड़ सिंचाई निर्माण, नलकूप या उद्वह सिंचाई द्वारा सिंचित एक एकड़ भूमि,

(ख) असिंचित भूमि का दो एकड़,

(ग) पहाड़ी या बलुआही भूमि का चार एकड़:

परन्तु कोई भी भूमि का टुकड़ा गंगशिकस्त द्वारा उसके क्षेत्रफल में कमी होने के चलते खण्ड नहीं समझा जायगा;

(6) ''ग्राम पंचायत'' से अभिप्रेत है, [1][बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1947, 1948 का (बिहार अधिनियम 7) की धारा 3 के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत;

(7) ''जोत'' से अभिप्रेत है किसी रैयत द्वारा धारित एक या कई भू-खण्ड और जो पृथक काश्तकारी की विषयवस्तु हो;

(8) ''विल्लंगम'' के अन्तर्गत किसी जोत या उसके भाग में किसी दर-रैयत का अधिकार भी आता है लेकिन सुखाचार का अधिकार नहीं आता है;

(9) ''भूमि'' से अभिप्रेत है कृषि भूमि और इसके अन्तर्गत उद्यान-कृषि भूमि, खार-पर भूमि, बंसवारी भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, बास भूमि, तालाब, कुएं एवं जलसरणियां आती है;

(10) ''भमिहीन श्रमिक'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि या कृषि-श्रम हो और जो कोई भूमि धारण नहीं करता हो या उतने क्षेत्र से अधिक भूमि धारण नहीं करता हो जितना विहित किया जाय;

---

1. अब बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006

Scanned with OKEN Scanner

(11) ''अधिसूचित क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसके बारे में धारा 3 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय;

(12) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा विहित;

(13) ''लोक प्रयोजन'' के अन्तर्गत ग्राम या ग्रामों की किसी सामान्य आवश्यकता, सुविधा या लाभ सम्बन्धी प्रयोजन आता है;

(14) ''रैयत'' से मुख्यत: वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े के सेवकों द्वारा या भागीदारों की सहायता से खेती करने के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, और इसके अन्तर्गत उस व्यक्ति के हित-उत्तराधिकारी भी आते हैं, जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(i) संथाल परगना जिले में अपनी निजी जोत, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में ग्राम मुखिया; और

(ii) उन क्षेत्रों में, जिनपर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम सं० 6) लागू होता हो, मुंडारी खूंटकट्टीदार और भुइंहर;

(15) * * * * *

(16) ''स्कीम'' से अभिप्रेत है, जोत के समेकन की स्कीम;

(17) ''दर-रैयत'' से अभिप्रेत है ऐसा काश्तकार, जो रैयत के अधीन अव्यवहृत या व्यवहृत रूप से धारण करता हो;

(18) ''इकाई'' से अभिप्रेत है, कोई ग्राम, ग्राम का भाग और, जहां समेकन निदेशक शासकीय राजपत्र में प्रकाशन द्वारा इस प्रकार अधिसूचित करें वहां, ऐसे दो या दो से अधिक ग्राम जिनके लिए एक ही समेकन स्कीम तैयार करनी है;

(19) ''ग्राम सलाहकार समिति'' से अभिप्रेत है धारा 7 के अधीन गठित ग्राम सलाहकार समिति, और

(20) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी पदों और अभिव्यक्तियों के:—

(i) किसी ऐसे क्षेत्र में लागू होने पर, जहां बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 (1885 का 8) प्रवृत हो वहां वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिये गये हैं;

(ii) किसी ऐसे क्षेत्र में लागू होने पर, जहां छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम 6) प्रवृत्त हो, वहां वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिये गये हों; और

(iii) किसी ऐसे क्षेत्र में लागू होने पर, जहां संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम 14) प्रवृत्त हो वहां वे ही अर्थ होंगे, जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिये गये हों।

टिप्पणी

[होल्डिंग का अर्थ एक टेनुअर में सम्मिलित सभी भूमि का बोधक है: **अशरफुनिसा बेगम बनाम डी०डी० सी०**, ए० आई०आर० 1971 इलाहाबाद 81]

'बेरामदार' यदि स्वयं मालिक की हैसियत से मुकदमा लगता है— दूसरे के प्रतिनिधि के नहीं तो उसके मर जाने पर असली मालिक उसकी जगह पर दर्ज नहीं किया जा सकता; **नववीथम नायडू बनाम गणेश नायडू**, ए० आई० आर० 1961 मद्रास 370 ।]

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 2 ।

जोतों का समेकन ।

3. राज्य सरकार द्वारा, जोतों के समेकन की स्कीम बनाने के आशय की घोषणा ।— (1) किसी क्षेत्र की भूमि में अच्छी खेती के प्रयोजनार्थ जोतों के समेकन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र में जोतों के समेकन के लिए योजना बनाने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) अधिसूचना का सार, अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट ग्रामों में, डौंडी पिटवाकर आख्यापित किया जायगा और अधिसूचनाओं की प्रतियां सभी ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में, यदि कोई हो, पुलिस थानों में, अंचल अधिकारियों के कार्यालयों में और ऐसे क्षेत्रों में कर-संग्रहण के लिए राज्य सरकार की ग्राम कचहरियों में लटका दी जायगी।

4. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना का प्रभाव ।— धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने पर, अधिसूचना से सम्बन्धित क्षेत्र में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से समेकन प्रक्रिया समाप्त होने तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इसमें आगे दिये गये परिणाम होंगे: —

(क) यथास्थिति, जिला या उसका भाग समेकन संक्रिया के अधीन समझा जायगा और हरेक ग्राम का अधिकार- अभिलेख तथा नक्शा तैयार तथा अनुरक्षित रखने का काम समेकन निदेशक द्वारा किया जायगा और वह इन्हें विहित रीति में, यथास्थिति, तैयार करेगा या अनुरक्षित रखेगा;

(ख) ऐसे क्षेत्रों की किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी न्यायालय में ग्रहण नहीं की जायगी और ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों पर लागू होनेवाले परिसीमाकाल की गणना में ऐसी अवधि नहीं गिनी जायगी:

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 का अधिनियम 8) की धारा 48 (ङ) तथा बटाईदारों के स्वत्वों को अभिलिखित करने से सम्बन्धित किसी कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

(ग) अभिलेखों की शुद्धि के लिए ऐसी हरेक कार्यवाही और उस क्षेत्र में पड़नेवाली किसी भूमि के अधिकार या हित की घोषणा के सम्बन्ध में अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार की घोषणा या न्याय-निर्णय के लिए, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही, की जा सकती हो या की जानी चाहिए, हरेक वाद और कार्यवाही जो प्रथम बार या अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के क्रम में, किसी न्यायालय या प्राधिकार द्वारा, जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही लंबित हो, आदेश पारित किये जाने पर उप-शमित रहें ।:

परन्तु, यह कि यदि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पदाधिकारी को, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 का बिहार अधिनियम सं॰ 8) के अध्याय 10, या छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम सं॰ 6) के अध्याय 12 का संथाल परगना बंदोबस्ती विनियम, 1872 (1872 का विनियम 3) में यथावर्णित सर्वेक्षण बंदोबस्त से सम्बन्धित कार्यवाहियां निपटाने के लिए सशक्त करे तथा ऐसे कार्यवाहियां निपटाने के लिए उसे अन्तरित कर दे, तो कार्यवाहियां उपशमित नहीं होंगी या उपशमित की गयी नहीं समझी जायेगी:

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी आदेश पक्षकारों को डाक द्वारा या किसी अन्य, सुविधाजनक रीति से सूचना और सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायगा:

परन्तु यह और भी कि ऐसे उपशमन से प्रभावित व्यक्तियों के उक्त वादों या कार्यवाहियों में विवादग्रस्त अधिकार या हित के लिए, इस अधिनियम और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार समुचित समेकन पदाधिकारियों के समक्ष, विरोध प्रकट करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी कार्यवाही, वाद, अपील, निर्देश

Scanned with OKEN Scanner

या पुनरीक्षण अथवा उनमें से किसी श्रेणी को छूट दे सकेगी, यदि उसकी राय में उसका उपशमन लोक हित में न हो तथा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक न हो:

परन्तु यह भी कि इस धारा की कोई भी बात, [1][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम, सं० 2) के अध्याय 10 की धारा 144 से 148 तक बिहार अभिधारी होल्डिङ्ग (अभिलेख अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 (बिहार अधिनियम 28, 1975] के अधीन किसी कार्यवाही तथा बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 का अधिनियम, सं० 8) की धारा 48 (ङ) और बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961(1962 का बिहार अधिनियम, सं० 12) पर लागू न होगी।

[अधिनियम का उद्देश्य भूमि का न्याय एवं साम्योचित वितरण प्राप्त करना है ताकि कृषि एवं बागवानी के द्वारा भूमि के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। समेकन न्यायालय सीमित अधिकारिता का न्यायालय है। भूमि सम्बन्धी स्वत्व के सभी प्रश्नों का निबटारा व्यवहार न्यायालय कर सकता है।

धारा 15(1) और 15(2) भारत का संविधान से अधिकारातीत है क्योंकि ये उच्च न्यायालय सहित व्यवहार न्यायालय की अधिनिर्णयन-शक्ति छिन लेती है।

धारा 4 (सी) के तहत उपशमित अथवा धारा 4(बी) के तहत अगृहीत वाद समेकन स्कीम पूरी हो जाने और 26 (ए) के तहत अधिसूचना के बाद भी चल सकेगा। अधिनियम की धारा 4 (बी) और धारा 37 में अन्तर्विष्ट कानूनी प्रतिबन्धों के बावजूद भी सक्षम अधिकारिता प्राप्त व्यवहार न्यायालय वादों का निपटारा करेगा। **कालिका कुँवर बनाम बिहार सरकार,** 1989 बी० बी० सी० जे० 717 : 1989 पी० एल० जे० आर० 1203 ;1990 (1) बी० एल० जे० आर० 51 :1990 (1) बी० एल० जे०1 ।]

टिप्पणी

[इस धारा के लागू होने के लिए इसकी सूचना या प्रकाशन आवश्यक है यदि सूचना का प्रकाशन नहीं हो तो सारी कार्रवायी अवैधानिक है; **तेजामल हुसैन बनाम ए० सी० आ०,** 1959 ए० एल० जे० 209; **महादेव सिंह बनाम जगदेव सिंह,** 1952 ए०एल० जे० 358। इस अधिनियम के अन्दर किसी सूचना का प्रकाशन, इस अधिनियम का भाग होगा: **कैलाश नाथ बनाम यू० पी० सरकार,** ए० आई० आर० 1957 सुप्रीम कोर्ट 790 ।

संवैधानिकता :— धारा 4 (ग), संविधान की धारा 14 और 19 की विरोधी नहीं है: **सत्यनारायन प्रसाद बनाम बिहार सरकार,** 1980 बी०एल० जे० आर० 570 : 1980 बी० बी० सी० जे० 130 : ए० आई० आर० 1980 सुप्रीम कोर्ट 2051; देखिये **श्यामसुन्दर बनाम सीयाराम;** ए० आई० आर० 1973 इलाहाबाद 382; **अतार सिंह बनाम यू० पी० सरकार,** ए० आई० आर० 1959 सुप्रीम कोर्ट 564 ; **बुद्धन चौधरी बनाम बिहार सरकार,** ए० आई० आर० 1955 सुप्रीम कोर्ट 191 ।

धारा 4 के परन्तुक के सामने (आलोक में) किसी भूमि के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हस्तान्तरण के मामले में धारा 4 का अवरोध आकृष्ट होगा। इस प्रकार यदि किसी भूमि के क्रय वायदे (कान्ट्रक्ट) का मुकदमा हो, या किसी मकफूल या बन्दोबस्ती का मुकदमा हो, धारा की रोक लागू होगी, परन्तु जहां वादी की किसी जमीन के हकीयत या दखल की मांग हो, वहां यह धारा अवरोधक नहीं बनती: **बीबी रबीया खातून बनाम राम भरोसे सिंह,** 1963 बी० एल० जे० आर० 190 ।

धारा 4 के उपबन्ध उसी मामले के लिए लागू होते हैं, जहां मुदई किसी कब्जा के अधिकार की घोषणा और उस पर दखल की मांग करता है (उपरोक्त निर्णय ही) परन्तु कब्जा सम्बन्धी वाद स्थगित होता हैं — देखिये ए० आई० आर० 1964 सुप्रीम कोर्ट 714 ।

चकबन्दी की सूचना पहले प्रकाशित हुई थी वो बाद में धारा 4 (ग) बना, इसलिए यह कथन कि इसके कानून में आने के बाद पुन: चकबन्दी की सूचना होनी चाहिए, निराधार है: **मुसम्मात जगनी बनाम शिवप्रताप दुबे,** 1984 पी०एल०जे०आर० (एन०ओ०सी०) 29

1. बिहार अधिनियम 35, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

धारा 4 (ग): पार्टी, को इसके अन्दर लगाए गए आदेश की सूचना देना आवश्यक है तथा उसे सुनवायी का समुचित अवसर भी देना चाहिए। इस प्रकार जिस दिन इस धारा के अन्तर्गत कोई दरखास्त पड़े, तो उसी दिन बिना विपक्षी को इसकी सुनवायी का अवसर दिए, आदेश पारित नहीं होना चाहिए। **मनेजर ठाकुर बनाम नारायण प्रसाद सिंह**, 1982 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 21 : 1982 बी० एल० जे० 452; **चौ० मुखतार सिंह बनाम यू० पी० सरकार**, 1956 ए० एल ० जे० 879; **जे० के आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बनाम मजदूर युनियन**, ए०आई०आर० 1956 सुप्रीम कोर्ट 231।

संबंधित व्यक्ति : — संबंधित व्यक्ति का स्वाभाविक एवं शाब्दिक अर्थ देना चाहिए: इसमें कृत्रिम व्यक्ति भी आते है: **नन्द प्रसाद बनाम अर्जुन प्रसाद**, ए० आई० आर० 1959 पटना 293 ।

प्रान्तीय सरकार का भी बोधक है: **श्यामसुन्दर बनाम सियाराम**, ए० आई० आर०1973 इलाहाबाद 382 ।

कुछ पार्टी नाबालिग हों, तथा अपनी मां के द्वारा हाजिर हों, उनके जायज हक की रक्षा होनी चाहिए। **राम सुख बनाम डी० डी० सी०**, ए० आई० आर० 1971 इलाहाबाद 352 :

बाद का अवरोध या स्थगन: —दीवानी मुकदमें में बाद के स्थगन (अवरोध) का स्थान है। वाद में किसी पक्ष के मर जाने पर यदि उनका उत्तराधिकारी (प्रतिनिधि) उनकी जगह पर लाया नहीं जाता तो वाद स्थगित, हो जाता है।

इस प्रसंग में यदि वाद के दौरान, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वाद स्थगित हो जाता है; यदि अपाल या रिवीजन में कोई पक्ष मर जाता है, तो अपील, रिवीजन अवरुद्ध हो जाता है; परन्तु इसका प्रभाव निर्णय, (फैसला) डिक्री या उस आदेश पर नहीं पड़ता जिसके बर्खिलाफ यह किया गया है। परन्तु चकबन्दी कानून में यदि चकबन्दी की सूचना निकल जाती है, तो दीवानी मुकदमें की सभी प्रक्रिया; चाहे मूल कचहरी, अपील या रीविजन का हो स्थगित हो जाती है, **मुसम्मात बीबी रहमती खातून बनाम कर्कू गोप**, 1982 पी० एल० जे० आर० (एस० सी०) 59 : ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 1450 : 1981 बी० बी० सी० जे० (एस० सी०) 187; सुप्रीम कोर्ट की अपील भी स्थगित हो जाती है: **मुंशी मकबूल रजा बनाम हसन रजा**, (1977) 3 एस० सी० सी० 578; **सत्यनारायण प्रसाद बनाम बिहार सरकार**, ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 2051 : 1980 बी० बी० सी० जे०130 : 1980 बी० एल० जे० आर० 570 ।

हकीयत की घोषणा की मांग, दखल और मीन प्रोफिट (वासीलात) का वाद; चकबन्दी नोटिस के बाद स्थगित हो जाता है: चन्द्रशेखर सिंह बनाम राम लखन सिंह, 1981 बी० बी० सी० जे०188; **बिजली ठाकुर बनाम रामेश्वर ठाकुर**, 1977 पी० एल० जे० आर० 410 : 1977 बी० बी० सी० जे० 70 ।

जिस वाद में दान पत्र के रद्ध करने का प्रश्न हो, इस आधार पर कि दानपत्र (void) निर्मूल है, वह स्थगित होगा। ऐसा मुकदमा जिसमें इस आधार पर दावा हो कि विक्रेता ने पहले ही बिक्री कर दिया था इसलिए उसके वाद कि बिक्री गैरकानूनी, प्रभावहीन और बिना असर का है— स्थगित होगा। **रामसेवक राय बनाम धनेश्वर ठाकुर**, 1983 बी० एल० जे० 415 ।

किसी भी शून्यकरणीय (voidable) दस्तावेज का प्रभाव तब तक बना रहेगा जब तक उसे रद्द (व्यवहार न्यायालय द्वारा) नहीं किया जाता। ऐसे दस्तावेज को रद्द करने या तोड़ने का अधिकार चकबन्दी पदाधिकारी को नहीं है। **आर० बी० मिश्रा बनाम बिहार सरकार**, 1984 पी० एल० जे० आर० 48 ।

अधिकार की घोषणा एवं जमीन पर कब्जा मांगने वाले वाद में स्थगन लागू होगा। **मु० बीबी रबेया खातून बनाम रामभरोसा सिंह**, 1963 बी० एल० जे० आर० 190 ।

कब्जा सम्बन्धी वाद उपशमित होता है: ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 7141 वाद की अपील तथा कार्रवाई भी स्थगित हो जाती है। ए० आई० आर०1973 एस० सी० 245 ; ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1499 ।

रेहन :— रेहन को भुगतान कर दखल लेने का वाद हो, तो स्थगित होगा; अजीज मियां बनाम

Scanned with OKEN Scanner

कलवार अहीर, 1980 बी० एल० जे० आर० 663 । परन्तु **सुभगसाह बनाम डोमासाह**, 1980 पी० एल० जे० आर० 85 : 1979 बी० बी० सी० जे० 722 में प्रतिपादित है कि चकबन्दी अधिकारी ऐसे मुकदमें को देखने योग्य नहीं हैं और न ऐसे वाद में उठने वाले प्रसंग में राहत ही दे सकते हैं, अत: ऐसा वाद स्थगित नहीं होता। देखिए, **सीताराम भारती बनाम भेख भारती**, 1984 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 15 ।

होमस्टीड (वसगीत जमीन) :— वसगीत जमीन की हकीयत का मुकदमा स्थगित हो जायगा; **वसगीत दसौंधी बनाम हराख दसौंधी**, 1980 पी० एल० जे० आर० 286 : 1980 बी० बी० सी० जे०197 ; **राम प्रताप महतो बनाम दीपलाल महतो**, 1979 बी० बी० सी० जे० 738; **नवदी महतो बनाम रामचन्द्र सिंह**, 1982 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 24 ।

यदि वसगीत खेती के लिए इस्तेमाल में न हो तो वाद रूकेगा नहीं; **बीबी-मकबूलन बनाम शेख हनीफ**, 1983 बी० एल० जे० 173 ।

यदि यह प्रश्न उठे कि जमीन बसगीत है या नहीं तो मुकदमा मुलतवी करने के पहले, इसका निर्णय कर लेना चाहिए **राम प्रताप महतो बनाम दीपलाल महतो**, 1979 बी० बी० सी० जे० 738 । हकीयत सम्बन्धी वाद सिविल कोर्ट में भेज दिया जाता है : ए० आई० आर० 1970 पंजाब एण्ड हरियाणा13 ; ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 542 । देखिए **रामानन्द सिंह बनाम विद्यापति देवी**, 1985 पी० एल० जे० आर० 15 ।

बटवारा—: बटवारे का मुकदमा स्थगित होगा **मुसम्मात मोनाका कुअर बनाम मुसम्मात मोनाका कुंअर**, 1982 पी० एल० जे० आर० 358 : 1982 बी० एल० जे० 475; **श्रीमती सुमंगल कुंअर बनाम श्री रामपति कुंअर**, ए० आई० आर० 1964 पटना 357 : 1964 बी० एल० जे० आर० 84 विपरीत : **जातरू पाहन बनाम महात्मा अम्बिक जीत प्रसम**, ए० आई० आर० 1957 पटना। 570 ; **मो० बीबी रबेया खातून बनाम राम भरोसा सिंह**, 1963 बी० एल० जे० आर० 790 ।

भले ही चकबन्दी पदाधिकारी के बिना इजाजत बटवारा करने का प्रावधान नहीं है, परन्तु इसके बावजूद बटवारे का मुकदमा स्थगित नहीं होगा; **बलधारी ठाकुर बनाम श्री तारा देवी**, 1967 बी० एल० जे० आर० 9 । बटवारे की फाइनल डिग्री तैयार की जा रही थी स्थगन का प्रश्न छोड़ दिया जाय चूंकि दोनों पक्षों ने चकबन्दी पदाधिकारियों का दामन पकड़ लिया : **भगेलू राम बनाम जीतन राय**, 1982 बी० एल० जे० 575 ।

निम्न वाद स्थगित नहीं होते : (क) बिहार लैंड रिफॉर्म्स अधिनियम, 1950 की धारा 4 (ज) कार्रवाई स्थगित नहीं होती राम चिन्द **ठाकुर बनाम बिहार सरकार**, 1978 बी० बी० सी० जे० 566; **गोरखनाथ दूबे बनाम हरीनारायण सिंह**, ए० आई०. आर० 1973 एस० सी० 245 ।

(ख) मकफूल भरपायी का मुकदमा सुभग साह बनाम डोमा साह, 1980 पी० एल० जे० आर० 85: 1979 बी० बी०सी० जे० 722। बसीगत का वाद भी स्थगित नहीं होता: **बीबी जयतून बनाम उर्मिला खातून** विपरीत—**अजीज मिया बनाम कलबार अहीर**, 1980 बी० एल० जे० आर० 663 । रेहन (redemption) को छुड़ाने की कार्रवायी भूमि की हकीयत की नहीं है— **सीताराम भारती बनाम भैरव भारती**, 1984 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०)12 ; देखें 1984 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 57 ।

(ग) इस आशय का वाद जो समझौते को निमूल और रद्द घोषित करने के लिए किया गया हो: **विश्वनाथ दूबे बनाम जगदीश दूबे**, 1979 बी० बी० सी० जे० 393 ।

(घ) इजराय की कार्रवाई स्थगित नहीं होती : 1985 बी० बी० सी० जे० 256 । चूंकि किसी प्रकार की डिक्री स्थगित नहीं होती अत: यदि दूसरी अपील (second appeal) स्थगित हो जाय, तब भी डिक्री स्थगित नहीं होगी: **राजा महतो बनाम मंगल महतो**, 1982 पी० एल० जे० आर० 392 । विपरीत विचारधारा के लिए देखें **मु० जगनी बनाम बनाम शिव प्रताप दूबे**, 1984 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 29 ।

Scanned with OKEN Scanner

(ङ) जमीन की बिक्री के ठेके को अमल कराने (specific performance of contract) का वाद: **सुखी लाल साह बनाम अनग्राहित साह,** 1979 बी० बी० सी० जे० 566 । विपरीत विचारधारा के लिए देखें **मु० बीबी रबेया खातून बनाम राम भरोसा सिंह,** 1963 बी० एल० जे० आर० 190 ।

(च) बिहार लैंड रिफॉर्म्स ऐक्ट, 1950 के अन्तर्गत मुआवजे की रकम के लिए वाद जो 13 वर्ष से लम्बित था, बिना वादी को सुने स्थगित नहीं हो सकता। **दुलहिन मुसमात राम ज्योति कुंअर बनाम बबुई राम केशी कुंअर,** ए० आई० आर० 1982 (एन० ओ० सी०) 180 (पटना) ।

(छ) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत वाद जिसमें हकीयत का प्रश्न उठाया गया हो स्थगित नही होता। दीवानी कचहरी का उसे देखने का अधिकार लिया नहीं जा सकता : **रामदेव महतो बनाम बिहार सरकार;** 1981 पी० एल० जे० आर० 552 ।

(ज) वाद, अपील, रीविजन, रेफरेन्स स्थगित हो सकता है, परन्तु डिग्री नहीं; **डा० जगदीश प्रसाद बनाम सत्यनारायण सिंह,** 1982 पी० एल० जे० आर० 1 : ए० आई० आर० 1982 पटना 37 ; **नथूनी राम बनाम श्री खीरा देवी,** 1981 बी० बी० सी० से० 413; **राजा महतो बनाम मंगल महतो,** 1982 बी० एल० जे० 561; लेकिन देखिए **जगदीश प्रसाद बनाम नारायण सिंह,** 1984 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 29 ।

(झ) सी० आर० पी० सी० के 11 और 12 अध्याय की कार्रवायी चकबन्दी के लागू होने या बाद, नहीं रूकेगी। **हिरदयानन्द सिंह बनाम रामनगीना सिंह,** 1980 पी० एल० जे० आर० 103 : 1980 बी० बी० सी० जे० 17 ।

(ञ) धारा 144 सी० पी० सी० की आपूर्त्ति की कार्रवाई नहीं रूकेगी : **लखपत सिंह बनाम रघुनाथ सिंह,** ए० आई० आर० 1974 इलाहाबाद 479 ।

(ट) अतिक्रमण (Encroachment) हटाने का वाद स्थगित नहीं होता : **बनवारी लाल बनाम तुलसी राम,** 1979 ए० एल० जे० 675 ।

(ठ) ऐसा वाद जो रद्द किये जाने वाले दस्तावेज के निस्वत हो: **हवलदार सिंह बनाम आदित्य सिंह,** ए० आई० आर० 1978 इलाहाबाद 266 ।

(ड) पुत्र का वाद कि जब वह मां के गर्भ में था तब पिता ने बिना आवश्यकता के देन किया था, स्थगित नहीं होगा: **मो० सती कुंअरी बनाम वशिष्ठ नारायण तिवारी,** 1985 पी०एल०जे०आर० 199।

(ढ) दानपत्र को धोखे से प्राप्त करने के कारण उसे रद्द कर हकीयत की घोषणा की मांग का मुकदमा मुलतवी (स्थगित) नहीं होगा: **श्री सूरजमनी देवी बनाम श्री शान्ति देवी,** 1981 बी० एल० जे० आर० 499 : ए० आई० आर० 1981 पटना 244 ।

(ण) इस्तेमाल करने के हक (Right of Easement) का स्थगन नहीं होता : **मुन्सी पासी बनाम ठाकुर सेठ,** 1980 पी० एल० जे० आर० 363 : 1981 बी० एल० जे० आर० 119 : 1980 बी० बी० सी० जे० 25: ए० आई० आर० 1981 पटना 177; **राम प्रताप महतो बनाम दीपलाल महतो,** 1979 बी० बी० सी० जे० 738 ।

(त) घर को तोड़ने के लिए, यदि मुकदमा दुबारे देखने के लिए दर्ज हो गया और वादी की हकीयत प्रमाणित हो गयी: **बंसी भगत बनाम किसुन भगत,** 1980 पी० एल० जे० आर० 39 : ए० आई० आर० 1981 पटना 304 ।

(थ) हदबन्दी कार्यवाही स्थगित नहीं होती; ए० आई० आर० 1971 इलाहाबाद 134 (फु० बें०) ।

(द) यदि मकफूल (Mortgage) को वापिस लेने का वाद हो, जिसमें दखल लेने या महासिल का दावा स्वतन्त्र रूप से न हो तो यह बाद स्थगित नहीं होगा। इसका कारण है कि रुपया भरपायी करने पर खहुक (Debtor) को कानून में दखल पाने का अधिकार है, और यह अधिकार चकबन्दी कानून से प्रभावित नहीं होता। इसलिए ऐसा वाद किसी जमीन पर अख्तीयार या सम्बन्ध की घोषणा के लिए नहीं मांता । अत: स्थगित नहीं होगा: **जनक शाही बनाम जमुना शाही,** 1980 पी० एल० जे० आर०

Scanned with OKEN Scanner

304:1981 बी० एल० जे० आर० 57 : 1980 बी० बी० सी० जे० 544 : ए० आई० आर० 1981 पटना देखिए 621 पी० एल० जे० आर० 57 ।

(ध) धारा 4 (ग) दखल और वासिलात के मुकदमे में लागू नहीं होता अत: ऐसा वाद स्थगित नहीं होगा: **भगवान दास बनाम गुलाब सिंह**, 1982 पी० एल० जे० आर० 394: 1982 बी० एल० जे० 550।

(न) धारा 4 (ग) इजराय (execution) में या फाइनल डिग्री के तैयार करने में लागू नहीं होता : **नथूनी राय बनाम श्री खीरा देवी**, 1981 बी० बी० सी० जे० 413; **विक्रम दूबे बनाम हृषिकेश सिंह**, 1979 बी० बी० सी० जे० 726 ।

(प) यदि हकीयत की घोषणा तथा दखल पाने का मुकदमा हो और साथ में बदले में रुपये की वसूली का दावा हो, तो हकीयत की घोषणा एवं दखल की मांग का मुकदमा स्थगित हो जायगा, पर रुपये वसूली का मुकदमा चलेगा : **सीताराम प्रसाद साह बनाम दामोदर झा** : 1983 बी० एल० जे० 246 ।

(फ) किसी दस्तावेज की शून्य (Void) करार देने की घोषणा करने के मुकदमे को उसे रद्द करने के बाद स्थगित नहीं किया जा सकता। **भोला प्रसाद महतो बनाम सीताराम महतो**,1983 बी० एल० जे० आर० 385 ।

(ब) दस्तावेज लिखने के समय दूसरा आदमी (असली नहीं) तहरीर करे और इस आधार पर बिक्री-पत्र या दान पत्र को रद्द करने का दावा हो; यह स्थगित नहीं होगा। **धनवीर सिंह बनाम चन्द्रशेखर तिवारी**,1983 बी० एल० जे० 438 ।

(भ) रीडम्पशन सूट किसी जमीन के अधिकार या हक के लिए नहीं होता: वह इस धारा से स्थगित नहीं होगा : **सीताराम भारती बनाम अचरो भारती**, 1984 पी० एल० जे० आर० (एन०ओ०सी०) 15।

यदि किसी म्युनिसिपैलिटि की जमीन चकबन्दी की घोषणा के अन्तर्गत नहीं थी तो वहाँ के विवाद को इस धारा से स्थगित नहीं किया जा सकता है। **बनमाली झा बनाम बिहार सरकार**, 1984 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 20 ।

(म) धारा 4 (1) (ख) और 4(1) (ग) के संशोधन के पहले की अधिसूचना, उसके लागू होने पर भी चालू रहेगी: **परमेश्वरी देबी बनाम सोभा देवी**, 1984 पी० एल० जे० आर० 868 । यदि कोई बिक्री का कागज अधिकार शून्य (Voidable) हो तब उसका बाद स्थगित होगा परन्तु यदि उसे अधिकार शून्य करवाना हो तो स्थगित नहीं होगा: **शिवरतन चमार बनाम राम मूरत सिंह**,1985 पी० एल० जे० आर० 87 (फुल बेंच) ।

स्थगित होने पर : —अपील के स्थगित होने पर, खारिज नहीं होता। चकबन्दी की कार्रवायी के चलते समय लम्बित रहता है। चकबन्दी कार्रवायी के बाद वह जारी हो जाता है: **हृदय राय बनाम ज्ञानी राय**, 1982 बी० एल० जे० 448। बाद की अपील तथा कार्रवायी स्थगित होती है: **बिजली ठाकुर बनाम रामेश्वर ठाकुर**, 1977 पी० एल० जे० आर० 410 । लम्बित वाद उपशमित हो जाता है, ए० आई० आर० 1973 सुप्रीम कोट 245; ए० आई० आर० 1975 सुप्रीम कोर्ट 1499 ।

सेकेण्ड अपील की हालत में भी वाद स्थगित होगा: अवर न्यायालय का फैसला और बिक्री विलोपित हो जायगी। **मो० जगनी बनाम शिवप्रताप दूबे**, 1984 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 29; विपरीत विचारधारा के लिए देखे **जगदीश प्रसाद बनाम सत्यनारायण सिंह**, 1982 पी० एल० जे० आर० 1।

मुकदमा स्थगित होने के बाद दीवानी कचहरी, नियुक्त रीसीवर को किसी पक्ष को दखल देने का कोई आदेश नहीं दे सकती। यह काम चकबन्दी पदाधिकारी का है। **शिव कुमारी देवी बनाम मो० शकुन्तला देवी**, 1982 पी० एल० जे० आर० 404 ।

वाद चकबन्दी के दौरान तक ही स्थगित रहेगा। चकबन्दी खत्म होने पर वाद पुनर्जीवित हो जायगा। परन्तु चकबन्दी के निर्णय के अनुसार ही वाद का निष्पादन होगा। **रामवृत सिंह बनाम बिहार सरकार**, 1979 पी० एल० जे० आर० 161 : 1979 बी० बी० सी० जे० 259।

Scanned with OKEN Scanner

यदि कोई पार्टी चकबन्दी के बाद अपने हक को प्रमाणित करता है तो अपने हक की ही घोषणा नहीं करायेगा, वह वासिलात का भी डिग्री हासिल करेगा। **रामवृत सिंह बनाम बिहार सरकार**, 1979 पी० एल० जे० आर० 161 : 1979 बी० बी० सी० जे० 259 ।

स्थगित होना, कानूनी ।—वाद का स्थगित होना कानूनी आवश्यकता है। ऑडर होते ही स्थगन जारी हो जाता है। **मु० कलिया देवी बनाम खूबलाल महतो**, 1982 पी० एल० जे० आर० 250 । स्थगित करना कचहरी का कर्त्तव्य है। अपील का अर्थ सेकेण्ड अपील (दूसरी अपील) भी है। सेकेण्ड अपील में भी स्थगित करने का प्रश्न उठाया जा सकता है। (उपरोक्त निर्णय देखिये।

यदि पहला आवेदन मुकदमे को स्थगित करने के लिए, किसी दोष से खारिज हो गया हो, दूसरा आवेदन पड़ सकता है (देखिये उपरोक्त निर्णय **मु० कलिया देवी** का) ।

स्थगित करने के आवेदन का निष्पादन शीघ्र करना चाहिए। वाद को अन्तिम निपटारा के लिए लम्बित नहीं रखना चाहिए। **जगनारायण मिश्र बनाम रामाधार पाठक**, 1982 पी० एल० जे० आर० (एन० ओ० सी०) 24 ।

चकबन्दी पदाधिकारी का अधिकार (मुकदमा स्थगित होने पर)।—हकीयत की उपस्थिति तथा विस्तार, जो याचना किया जाय या प्रतिवाद किया जाय के फैसले का अधिकार चकबन्दी पदाधिकारी को है, जो किसी दस्तावेज के असर या बेअसर की घोषणा कर सकता है। परन्तु जब किसी दस्तावेज का प्रभाव उसे रद्द कर ही हो सके तो चकबन्दी पदाधिकारी को उसे रद्द करने का अधिकार नहीं है, और इसलिए वह उस पर मान्य है, जब तक सक्षम न्यायालय उसे रद्द न कर दे: **गोरखनाथ दूबे बनाम हरि नारायण सिंह**, (1973) 2 एस० सी० सी० 535 : ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 2451 : (1974) ए० आई० आर० 339 ।

किसी बेची (sale deed), के दस्तावेज दान-पत्र तथा वसीयतनामा के जायज होने की बात चकबन्दी पदाधिकारी के यहां उठ सकती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न स्वभावत: एवं अनिवार्यत: उठेंगे जब भूमि के हक या हिस्सा का निर्णय होने को है (देखिये उपरोक्त निर्णय)।

यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि भूमि बसगीत की है या नहीं, तो उसका निर्णय करने के उपरान्त स्थगन का प्रश्न जायेगा: **राम प्रताप महतो बनाम दीपलाल महतो**: 1979 बी० बी० सी० जे० 738 ।

मुकदमा मुलतवी होने पर कचहरी नहीं बल्कि चकबन्दी पदाधिकारी नियुक्त रीसीवर को किसी पक्ष को दखल देने का आदेश देगें। **शिवकुमारी देवी बनाम मु० शकुन्तला देवी**, 1982 पी० एल० जे० आर० 404 ।

चकबन्दी पदाधिकारी हकीयत (title) पर फैसला नहीं दे सकता। वह निर्णय नहीं कर सकता कि मठ का महन्थ कौन है। ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 542 । देखिए ए० आई० आर० 1970 पंजाब-हरियाणा 93 (फुल बैंच) ।]

4 क. धारा के अधीन अधिसूचना का रद्दकरण ।— (1) राज्य सरकार के लिए यह विधिसंगत होगा कि वह धारा 3 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना को, उसमें विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, किसी भी समय रद्द कर दे ।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना किसी इकाई के सम्बन्ध में रद्द कर दी गयी हो, तो ऐसा क्षेत्र, ऐसे रद्दकरण की तारीख को या उसके पूर्व पारित भूमि अभिलेखों की शुद्धि से सम्बन्धित अन्तिम आदेशों के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, रद्दकरण की तारीख से समेकन संक्रियाओं के अधीन नहीं रह जायगा।

टिप्पणी

सरकार को पूर्व सूचना को रद्द करने का अधिकार है: **बिहार सरकार बनाम डी० एन० गांगुली**, ए० आई० आर० 1958 सुप्रीम कोर्ट 1012।

5. बिना मंजूरी के अन्तरण पर प्रतिबन्ध ।— (1) धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर तथा सिद्धान्त विवरण के प्रकाशन की तिथि के बाद कोई भी व्यक्ति समेकन अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना अधिसूचित क्षेत्र में बिक्री, दान, विनिमय या विभाजन के जरिये किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा और यदि मंजूरी मिल जाय तो, यथास्थिति, अन्तरण या विभाजन, उस क्षेत्र के संबंध में बनायी गयी समेकन स्कीम के अधीन भूमि से संलग्न अधिकारों और दायित्वों के अध्यधीन होगा।

[1][(2) उप-धारा (1) का उपबन्ध धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के निर्गत होने की तारीख से प्रभावी होगा।]

टिप्पणी

[बिहार लैंड रीफार्म्स (फिक्सेशन ऑफ सीलीग एरिया ऐण्ड एक्वीजीशन ऑफ सरप्लस लैण्डस) ऐक्ट 1961 (याने सीलींग ऐक्ट) की धारा 16 के अन्दर कलक्टर के हस्तान्तरण का अधिकार शामित नहीं होता: **श्रीमती सुनयना देवी बनाम एडिशनल मेम्बर**, 1981 पी० एल० जे० आर० 136।

अनुमति देना प्रशासनिक या कार्यपालिका का काम है, यह न्यायपालिका का तद्‌भव काम नहीं है: **श्री मुन्नालाल बनाम श्री चक्रधर हंस**, ए० आई० आर० 1952 इलाहाबाद 859।

हस्तान्तरण की अनुमति मामूली आधार पर रोकना नहीं चाहिए। **डी० डी० सी० बनाम दीनबन्धु** ए० आई० आर०,1952 484।]

[1][**5-क. धारा 5 (1) के उपबन्धों से स्थायी छूट** ।— यदि इसका समाधान हो जाय कि धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि रजिस्टर तथा सिद्धान्त विवरण के उपरान्त किसी इकाई या इकाइयों की समेकन योजना तैयार करने में समय लगने की सम्भावना है तथा धारा 5 की उप धारा (1) के उपबंध के प्रवर्तन के चलते ऐसी इकाइ या इकाइयों के रैयतों या दर रैयतों को परेशानी होगी तो समेकन निदेश-के के लिए यह विधि संगत होगा कि वह ऐसी इकाई या इकाइयों को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए धारा 5 की उप धारा (1) के उपबंधों के प्रवर्त्तन से छूट दे तथा ऐसी छूटें सामान्य सूचना द्वारा सम्बद्ध इकाइयों में अधिसूचित कर दी जायगी।]

6. मंजूरी की प्रक्रिया ।— (1) किसी भूमि को अन्तरित या विभाजित करने का आशय रखनेवाला व्यक्ति धारा 5 के अधीन मंजूरी के लिए विहित प्रारूप में और विहित विशिष्टियों से युक्त आवेदन करेगा, जिसके साथ आशयित अन्तरण और विभाजन की सूचनाएं विहित प्रारूप में और, आवेदन-पत्र में नामित पक्षकारों पर उनके तामील किये जाने तथा उनकी प्रतियां उस भूमि पर, समेकन अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर, जो विहित किये जायं, लगाने के लिए विहित आदेशिका फीस भी रहेगी।

(2) समेकन अधिकारी, सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा और इस प्रकार नियत तारीख विनिर्दिष्ट करनेवाली सूचनाएं अर्जी में नामित पक्षकारों पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से ऐसी अन्य रीति से, जैसी विहित की जाय, तामील करायगा और सूचना की प्रतियों को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट भूमि पर या ऐसे अन्य स्थानों पर लगवायगा।

(3) सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य स्थगित तारीख को समेकन पदाधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई पर लेने के पश्चात् एवं ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझें :

परन्तु यह कि समेकन पदाधिकारी, किसी भूमि के अन्तरण या विभाजन की मंजूरी से, निम्नलिखित में से किसी एक या अन्य आधार को छोड़कर, इन्कार न करेगा:—

(क) विहित विशिष्टियां नहीं दी गयी है;

(ख) अन्तरण या विभाजन से समेकन कार्यवाही में हस्तक्षेप होने या खण्ड बन जाने की संभावना है; तथा

---

1. बिहार अधिनियम 35, 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) अन्तरण या विभाजन, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अथवा अधिसूचित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी काश्तकारी अधिनियम के किसी उपबन्ध के विरुद्ध होगा:

परन्तु यह और कि किसी भूमि के किसी व्यक्ति के हाथ अन्तरण की मंजूरी नहीं दी जायगी यदि ऐसे अन्तरण के पश्चात् उसके द्वारा धारित भूमि का कुल क्षेत्र उस अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाता हो जो अधिसूचित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित किया जा सकता हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन समेकन पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के तीस दिनों के भीतर, सहायक समेकन निदेशक के पास अपील कर सकेगा और ऐसे अपील विहित रीति से सुनी और निपटायी जायगी और उस पर सहायक समेकन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

टिप्पणी

[उत्तर प्रदेश के समान भूमि चकबंदी कानून की धारा 6 के अन्तर्गत ऐसे प्रतिबंध (restrictions) लगाये गये है इससे संविधान की धारा 14 या धारा 31 (2) का उल्लंघन नहीं होता है ए० आई० आर० 1959 एस० सी० 564; ए० आई० आर० 1968 पंजाब 376।]

7. ग्राम सलाहकार समिति का गठन ।— (1) अधिसूचित क्षेत्रों में समाविष्ट हरेक इकाई में, समेकन पदाधिकारी एक ग्राम सलाहकार समिति कायम करेगा, जिसमें उस ग्राम की ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहेंगे:

परन्तु, यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सम्मिलित हों, तो ग्राम सलाहकार समिति में कार्यपालिका समिति के ऐसे सदस्य रहेंगे जो सम्बद्ध गांव के निवासी हों और ऐसे अन्य रैयत और दर-रैयत भी रहेंगे जिन्हें सहायक समेकन पदाधिकारी नियुक्त करें:

परन्तु यह और भी कि जहां ऐसी ग्राम पंचायत स्थापित नहीं हुई हो, वहां ग्राम सलाहकार समिति में ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिन्हें सहायक समेकन पदाधिकारी सम्बद्ध ग्राम के रैयतों और दर-रैयतों की सलाह से, नियुक्त करें:

परन्तु यह भी कि जहां बिहार ग्रामदान अधिनियम, 1965 के अधीन सम्यक् रूप से ग्राम-सभा गठित की गयी हो वहां ग्राम सलाहकार समिति में ग्राम-सभा की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहेंगे:

परन्तु यह और भी कि सहायक समेकन पदाधिकारी, जहां आवश्यक हो, किसी भूमिहीन श्रमिक को, और ग्राम के ऐसे किसी भूधारक को, जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि न हो, ग्राम सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त कर सकेगा।

(2) समेकन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किये जानेवाले व्यक्तियों की संख्या और उप-धारा (1) के परन्तुकों के अधीन नियुक्ति की रीति वही होगी जो विहित की जाय।

8. समेकन के पूर्व अद्यतन अधिकार-अभिलेख की तैयारी ।— (1) उप-धारा (2) में यथोपबन्धित को छोड़कर, धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, यथाशीघ्र, अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट सभी भूमि के बारे में अद्यतन अधिकार-अभिलेख और उसका नक्शा, यथास्थिति, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 का 8) के अध्याय 10 अथवा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम, संख्या 6) के अध्याय 12 या संथाल परगना बन्दोबस्त विनियम, 1872 (1872 का विनियम संख्या 3) [1][या बिहार अधिभारी होल्डिंग (अभिलेख का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 (बिहार अधिनियम 28, 1975)] के उपबंधों के अनुसार तैयार किया जायगा:

परन्तु राज्य-सरकार, इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा उक्त अधिनियमों और विनियम के उपबंधों में, ऐसे उपांतरण कर सकेगी जो अधिकार-अभिलेख की शीघ्र तैयारी के लिए आवश्यक हों।

(2) जब अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट भूमि के बारे में नक्शा और अधिकार-अभिलेख, धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व बीस वर्षों के भीतर, यथास्थिति, बिहार काश्तकारी

1. बिहार अधिनियम 35, 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम, 1885 (1885 का 8) के अध्याय 10 अथवा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम, संख्या 6) के अध्याय 12 या संथाल परगना बन्दोबस्त विनियम, 1872 (1872 का विनियम, संख्या 3) के उपबन्धों के अधीन तैयार और प्रारम्भिक या अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा चुका हो, तो ऐसा नक्शा और अधिकार-अभिलेख उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया अद्यतन नक्शा और अधिकार-अभिलेख समझा जायगा।

टिप्पणी

[चकबन्दी पदाधिकारियों के बनाए नक्शे को अन्य अधिनियम के आधार पर संशोधन नहीं करना चाहिए। **गंगा ग्लास वर्क्स बनाम यू० पी० सरकार,** ए० आई० आर०1972 इलाहाबाद 158।

यदि खतियान और नक्शा में किसी प्लॉट के नाप के सम्बन्ध में विभिन्नता हो तो इस अधिनियम की धारा 33 के अनुसार उसमें सुधार किया जा सकता है। (उपरोक्त निर्णय देखिए)

बटवारा सूचियाँ, जिनमें केवल यह लिखा रहे कि पहले क्या सब हो चुका है, निबन्धन योग्य नहीं होगी। ए० आई० आर०1958 एस० सी० 706 , अनुसरण किया गया।

यह नियम अब पूर्णत: स्थापित हो गया है कि ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही में भी, जिसमें सिविल कार्वाई क्यों न अन्तर्ग्रस्त हो; नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होना अवश्यंभावी है।

श्रीमती मेनका गाँधी बनाम भारतीय संघ, ए० आई० आर० 1978 एस० सी० 597 ।

2. संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति —''संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति को संयुक्त सम्पत्ति की संज्ञा से महज इसलिये नहीं हटाया जा सकता कि उसका अंश परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम में है। **कौशल किशोर बनाम धरम किशोर,** ए० आई० आर० 1978 पी० एण्ड एच० 146 :

3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धाराएँ 4 और 28—''विधवा की शीलभ्रष्टता (अनचेस्टिटी) पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार अवरोधक नहीं''—ए० आई० आर० 1978 (सितम्बर) कलकत्ता—431 ।

4. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956— धाराएँ 8, 15 और अनुसूची— ''पुत्री द्वारा विरासत में प्राप्त अपने पिता की सम्मत्ति — उसके निसन्तान मर जाने पर उसके पिता के वारिसों की हो जायगी ए० आई० आर० 1979 (मार्च) गुजरात 45 डी०)

5. पूर्व निर्णीत (रेस जुडिकाटा) का सिद्धांत— एक ही पक्षकारों के बीच चल रही घृतिकार्यवाही (टेनेन्सी प्रोसिडिंग्स) पर भी लागू होगी —ए० आई० आर० 1976 बम्बई 290 बी०

6. हिन्दू विधि (ला) —बेनामी —जो व्यक्ति किसी संव्यवहार (ट्रेंजेक्सन) को बेनामी बताता है उसे साबित करना होगा कि वह बेनामी संव्यवहार था —**अमित मुखर्जी बनाम विभावती दासी,** ए० आई० आर० 1979, कलकत्ता 344 (348)।

7. प्रतिकूल कब्जा—अंश—प्रमाण— ''प्रतिकूल कब्जा के हक को सकारात्मक ढंग से (एफ रमेटिवली) प्रमाणित करना होगा कि उसका 12 वर्षों से बिना किसी क्रमभंग ना रहा है और सभी लोग उसे जानते हैं। ए० आई० आर० 1980 एन० ओ० सी० 15 (गोहाटी)

8. चिरकाल से चले आ रहे रूढ़िगत अधिकार (कस्टमरी राइट) के लिए यही प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि अधिकार युक्तियुक्त और प्राचीन है तथा इसका प्रयोग निर्विरोध और शान्तिपूर्वक किया जाता है— एविडेन्स ऐक्ट (साक्ष्य अधिनियम) की धारा—13: ए०आई०आर० 1980 कल०10।]

8. क. संयुक्त जोतों का विभाजन।—(1) सहायक समेकन पदाधिकारी या समेकन पदाधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर या स्वेच्छा से संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकेगा।

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जायगा:

परन्तु जहां संबद्ध रैयत सहमत हो, वहां वह विनिर्दिष्ट प्लॉटों के आधार पर भी किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

टिप्पणी

[चकबन्दी की कार्यवाही के क्रम में अगर जमीन पर कब्जे के अधिकार के सम्बन्ध में विवाद खड़ा हो तो इस का निपटारा चकबन्दी कानून में सम्वद्ध अधिकारी नहीं कर सकते हैं। पार्टियों को सिविल कोर्ट भेजा जायेगा: ए० आई० आर० 1970 पंजाब 93 (99, 100, 101) एफ० बी० ।]

9. भूमि रजिस्टर का तैयार किया जाना ।—(1) जब अधिकार- अभिलेख और नक्शा अद्यतन कर लिया जाय या अद्यतन किया गया मान लिया जाय, तब ग्राम सलाहकार समिति और ऐसे रैयतों की, जो उपलब्ध हो सकें, राय पर विचार करने के बाद प्रत्येक भूखंड (प्लॉट) की उत्पादकता, अवस्थिति और सिंचाई-सुविधा, यदि कोई हो, की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात उसका मूल्य अवधारित किया जायगा ।

(2) विहित प्ररूप में निम्नलिखित तैयार किये जायंगे :—

(i) रैयतों की भूमि का रजिस्टर, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां भी रहेंगी:—

(क) रैयत का नाम;

(ख) रैयतों द्वारा धारित भूमि के खंडों का क्षेत्रफल और क्रम-संख्या;

(ग) हरेक भूखंडों की उपज के अनुसार उसका वर्गीकरण;

(घ) ऐसे भूखंडों का क्षेत्रफल और क्रम-संख्या, जो उनमें अधिभोगाधिकार रखनेवाले [1][दर-रैयतों] द्वारा, यदि कोई हों, धारित हो;

(ङ) ऐसे भूखंडों का क्षेत्रफल और क्रम-संख्या जो उनमें अधिभोगाधिकार नहीं रखनेवाले [1][दर-रैयतों] द्वारा, यदि कोई हों, धारिता हो;

(च) प्रत्येक भूखंड का मूल्यांकन;

(छ) भूखंडों में विद्यमान सभी संरचनाओं, वृक्षों, वंसवारी, कुओं और अन्य सुधार कार्यों का, उनकी राशि की गणना करने के प्रयोजनार्थ, मूल्यांकन;

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जायं;

(ii) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि का रजिस्टर, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी रहेंगी:—

(क) वह सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए ऐसी भूमि आरक्षित की गयी हो या जो सार्वजनिक प्रयोजन इससे सिद्ध होता हो;

(ख) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल और चौहद्दी; और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जायं ।

9-क. सिद्धांत विवरण तैयार किया जाना।— सहायक समेकन पदाधिकारी ग्राम सलाहकार समिति और ऐसे रैयतों की, जो उपलब्ध हो सकें, राय पर विचार करने के बाद समेकन संक्रिया के अधीन हर इकाई के बारे में विहित रीति से एक विवरण (जिसे इसमें आगे सिद्धांत विवरण कहा जायगा) तैयार करेगा, जिसमें इकाई में समेकन संक्रिया निष्पादित करने में अनुसरण किये जानेवाले सिद्धांत उपवर्णित रहेंगे। सिद्धांत विवरण में निम्नलिखित भी दिये रहेंगे :—

(क) उन क्षेत्रों के ब्योरे, जहां तक वे इस प्रक्रम पर इकाई के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों के वासस्थल के क्षेत्र सहित वासस्थल के विस्तार के लिए, साथ ही विहित किये जा सकनेवाले अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अवधारित किये जा सकें, अलग-अलग रखे जा सकते हों;

(ख) वह आधार जिसपर रैयत वासस्थल के विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे; और

1.बिहार अधिनियम 35, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग रखी जानेवाली भूमि के ब्योरे।

10. भूमि रजिस्टरों तथा सिद्धांत विवरण का प्रकाशन और उनपर आपत्तियां ।—(1) धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन तैयार किये गये रजिस्टर और धारा 9 क के अधीन तैयार किया गया सिद्धांत विवरण विहित रीति से प्रकाशित किये जायेंगे और वे कम-से-कम 30 दिनों तक प्रकाशित रहेंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन रजिस्टरों के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर सहायक समेकन पदाधिकारी के समक्ष, उनके संबंध में आपत्ति कर सकेगा, जिसमें वह अभिलेखों या सिद्धांत विवरण में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता और स्वरूप के संबंध में विवाद उठा सकेगा।

(3) सहायक समेकन पदाधिकारी, हितबद्ध व्यक्ति की सुनवाई और यथावश्यक जांच करने के बाद, अपने समक्ष उपस्थित होनेवाले पक्षकारों के बीच सुलह द्वारा, यथासंभव, आपत्ति का विनिश्चय, विवादों का निपटारा या गलतियों का सुधार करेगा और उस सुलह के आधार पर आदेश पारित करेगा।

(4) ऐसे सभी मामले जो उप-धारा (3) के अधीन सहायक समेकन पदाधिकारी द्वारा निपटाये न गये हों, भूखंडों के मूल्यांकनों संबंधी सभी मामले और संरचनाओं, वृक्षों, बांसवारी, कुओं या अन्य सुधार कार्यों की राशि की गणना करने के प्रयोजनार्थ उनके मूल्यांकन एवं, यदि एक से अधिक स्वामी हों तो, सहस्वामियों के बीच उसके प्रभाजन से संबंधित सभी मामले सहायक समेकन पदाधिकारी द्वारा समेकन पदाधिकारी के पास अग्रसारित किये जायंगे, जो उनका निपटारा विहित रीति से करेगा।

(5) जहां धारा [1][10 की उप-धारा (2)] के अधीन सिद्धांत विवरण के विरुद्ध आपत्ति की गयी हो, वहां सहायक समेकन पदाधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ग्राम सलाहकार समिति की राय पर विचार करने के बाद, अपनी रिपोर्ट समेकन पदाधिकारी को देगा, जो विहित रीति से आपत्तियों का निपटारा करेगा।

(6) [1][उप-धारा (3) (4) या (5)] के अधीन समेकन पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के तीस दिनों के भीतर सहायक समेकन निदेशक के पास अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अंतिम होगा।

(7) समेकन पदाधिकारी किसी आपत्ति या अपील का विनिश्चय करने के पूर्व, संबद्ध पक्षकारों और ग्राम सलाहकार समिति को सम्यक् सूचना देने के बाद इकाई का स्थानीय निरीक्षण करेगा और जहां आवश्यक हो, सहायक समेकन निदेशक, ऐसा निरीक्षण कर सकेगा।

टिप्पणी

[रद्द होने लायक आदेश पर पारित एतराज, चकबन्दी ऑफिसर ग्रहण नहीं करेगा। **आर० बी० मिश्रा बनाम बिहार सरकार**, 1983 बी० एल० जे० 1971 । सहायक चकबन्दी ऑफिसर के यहां सर्वे के इंदराज के संबंध में एतराज उठाने के विरूद्ध विपक्षी ने धारा 10(6)के अन्दर अपील की। विपक्षी धारा 12(2) के मुताबिक भी एतराज उठा सकता है। **श्री सुदमिया देवी बनाम बिहार सरकार**, 1980 बी० एल० जे० आर० 577 : 1980 बी० बी० सी० जे० 503। नाबालिग का एतराज कि पिता ने बेच दिया है चकबन्दी ऑफिसर इस पर फैसला नहीं दे सकता। **आर० बी० मिश्रा बनाम बिहार सरकार**, 1984 बी० एल० जे० आर० 48 ।

यदि किसी दस्तावेज का असर बिना उसे हटाए या रद्द किए नहीं किया जा सकता, तो चकबन्दी अधिकारी को कोई अधिकार उसे रद्द करने का नहीं है और यह दस्तावेज नाबालिगों को बाधित करेगा जब तक रद्द नहीं किया जाता। **आर० बी० मिश्रा बनाम बिहार सरकार**, 1984 पी० एल०.जे० आर० 48।]

10.-क आपत्ति का वर्जन । — समेकन क्षेत्र से संबंधित धारा 9 के अधीन तैयार किये गये किसी नक्शा या किन्हीं रजिस्टरों में अथवा धारा 9 क के अधीन तैयार किये गये सिद्धांत विवरण में की गयी किसी प्रविष्टि के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न, जो धारा 10 के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया

1.बिहार अधिनियम 35, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

जाना चाहिए था किंतु जो उठाया नहीं गया हो, समेकन कार्यवाही के किसी उत्तरवर्ती क्रम में उठाया या सुना नहीं जायगा।

टिप्पणी

[केवल बै (sale deed) लिखने के रजामन्दी पर, इस धारा के अनुसार एतराज दाखिल नहीं किया जा सकता। **सुखा बनाम हरि सिंह**, ए० आई० आर० 1977 इलाहाबाद 11.

रेवेन्यू सिरेश्ते में नाम रेवेन्यू के लिए नामदर्ज होता है उससे नाम धारी को साधारणत: कोई हक नहीं होता: **जयपाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू**, 1956 ए० एल० जे० 807।]

10-ख. पुनरीक्षित अभिलेखों में दर्ज अधिकारों या हितों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्त्तनों और सव्यवहारों से सम्बन्धित विषयों का विनिश्चय । [1][(1) धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित भूमि रजिस्टर में अभिलिखित किसी अधिकार या हित पर प्रभाव डालनेवाले परिवर्त्तनों और अंतरणों में सम्बन्धित सभी विषय, जिनके लिए धारा 8 और 9 के अधीन कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की जाने का उनके जारी रहने के समय वाद-हेतुक न उठा हो समेकन पदाधिकारी के समक्ष वाद हेतुक की तारीख के तीस दिनों के भीतर किन्तु धारा 26 क या धारा 4 क की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख के बाद नहीं उठाये जा सकेंगें।]

(2) धारा 8 और 9 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्त्तनों सहित, उप-धारा (1) के अधीन उठाये गये किसी विषय की सुनवाई और विनिश्चय पर, उसी प्रकार लागू होंगे, मानों वह पूर्वोक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।

[1][**10.-ग. कुछ दशाओं में भूमि रजिस्टर आदि का पुन: प्रकाशन।** —धारा 5 क में यथा उपबंधित छूट की विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, किन्तु धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन समेकन स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन के पूर्व, संबंध इकाई या इकाईयों के संबंध में धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन तैयार किया गया भूमि-रजिस्टर और धारा 9 के अधीन तैयार किया गया सिद्धांत विवरण तथा धारा 10 उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित और 10 की उप-धारा (1), (3), (4), (5) तथा (6) के अधीन शोधित भूमि-रजिस्टर और सिद्धांत विवरण विहित रीति से पुन: प्रकाशित किये जायेगें और ऐसे पुन: प्रकाशन के 20 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति ऐसे सहायक समेकन पदाधिकारी के समक्ष उनके संबंध में आपत्ति कर सकेगा, जिसमें वह भूमि रजिस्टर या सिद्धांत-विवरण में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता और स्वरूप के संबंध में आपत्ति कर सकेगा, यदि धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि रजिस्टर तथा सिद्धांत विवरण के प्रकाशन के बाद ऐसी आपत्ति के लिए वाद हेतुक उठा हो ।]

[1][**10- घ. भूमि रजिस्टर आदि के पुन: प्रकाशन के लिए उपनिदेशक की विशेष शक्ति ।**— यदि इसका समाधान हो जाय कि धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित किये गये या धारा 10 की उप-धारा (3), (4), (5), या (6) के अधीन शोधित किये गये भूमि रजिस्टर में, पर्याप्त और अपरिहार्य कारणों से, पर्याप्त संख्या में रैयत या दर-रैयत धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन अपना दावा प्रस्तुत करने के अवसर का लाभ नहीं उठा सके है, तो समेकन उप-निदेशक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से भूमि-रजिस्टर या सिद्धांत विवरण या दोनों को विहित रीति से फिर से प्रकाशित करने का आदेश दे सकेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे पुनर्प्रकाशन की 20 दिनों की अवधि के भीतर सहायक समेकन पदाधिकारी के समक्ष उनके संबंध में आपत्ति कर सकेगा, जिनमें यह भूमि-रजिस्टर या सिद्धांत विवरण या दोनों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता और स्वरूप के संबंध में धारा 10 क के उपबन्धों के होते हुए भी आपत्ति कर सकेगा ।]

टिप्पणी

यह धारा किसी एक इन्दराज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता। जब काफी संख्या में रैय्यत या दर-रैय्यत उचित एवं अपरिहार्य कारणों से 10 (2) में अपना अरोप न दे सके, तब इसका प्रयोग होता है।

1.बिहार अधिनियम 35, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

अत:किसी एक इंदराज के खिलाफ सहायक निदेशक इसके अन्दर हस्तक्षेप नहीं कर सकते: जगरनाथ ठाकुर बनाम बिहार सरकार, 1984 बी० एल० जे० 333 : 1984 पी० एल० जे० आर० 310 ।]

[1][**10- ङ भूमि रजिस्टर आदि के पुनः प्रकाशित होने पर विनिश्चित विवादों पर पुनः विचार नहीं किया जाना** । —धारा 10 की उप-धारा (2), (3), (4), (5), (6) और (7) के उपबंध धारा 10-ग तथा 10-घ के अधीन किसी बात पर की गयी आपत्तियों पर आवश्यक परिवर्त्तन के साथ लागू होंगे, परन्तु जिस विवाद का विनिश्चय धारा 10 की उप-धारा (3) या (4) या (5) या (6) के अधीन पहले किया जा चुका हो, उसे भूमि रजिस्टर या सिद्धांत विवरण या दोनों के पुन: प्रकाशन के बाद नहीं उठाया जायेगा ।]

11. योजना प्रारूप की तैयारी ।— (1) धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन की गयी आपत्तियों का निपटारा होने के बाद यथाशीघ्र सहायक समेकन पदाधिकारी संबद्ध गांव में उस तारीख को जायगा जिसकी पूर्व सूचना विहित रीति से दी जायगी, और ग्राम सलाहकार समिति तथा जो रैयत उपलब्ध हो सकें, उनकी सलाह लेकर अधिसूचित क्षेत्र में जोतों की चकबंदी (समेकन) की योजना का प्रारूप तैयार करेगा:

परंतु यदि सहायक समेकन पदाधिकारी किसी विषय पर ग्राम सलाहकार समिति या रैयतों की सलाह स्वीकार न करे तो वह योजना प्रारूप तैयार करने के पहले उस विषय को सहायक समेकन निदेशक के पास निर्णय के लिए भेज देगा और उस पर उसका आदेश अंतिम होगा।

(2) ग्राम सलाहकार समिति और सहायक समेकन पदाधिकारी समेकन स्कीम तैयार करने में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेंगे : —

(क) धारा 9 के अधीन तैयार किये गये भूमि रजिस्टर में यथाभिलिखित किसी रैयत के अधिकार और दायित्व इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किये गये अंशदान मद्धे की गयी कटौतियों के अधीन रहते हुए उस आवंटित भूमि में सुरक्षित है;

(ख) किसी रैयत को आवंटित भू-खंडों का मूल्यांकन, इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अंशदान मद्धे की गयी कटौती, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए उसके द्वारा मूलत: धारित भू-खंड के मूल्यांकन के बराबर है। परंतु सहायक समेकन निदेशक की अनुज्ञा के सिवाय किसी रैयत को आवंटित जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं होगा;

(ग) निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अधीन अवधारित राशि दी जाती है: —

(i) उसके द्वारा मूलत: धारित और दूसरे रैयत को आवंटित वृक्षों, वांसवारियों, कुओं, सरंचनाओं और अन्य सुधार कार्यों के लिए, और

(ii) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रैयतों द्वारा दी गयी भूमि के लिए;

(घ) हरेक रैयत को यथासंभव वहीं, जहां वह अपनी जोतों का सबसे बड़ा भाग धारित करता हो, रहित भू-खंड क्षेत्र प्रदान किया जाता है: परंतु उप-निदेशक समेकन की लिखित स्वीकृति के बिना, किसी भी रैयत को तीन से अधिक चक आवंटित नहीं किये जा सकेंगे;

(ङ) हरेक रैयत को यथासंभव वही भूखंड, जिस पर उसका निजी सिंचाई साधन-स्रोत या कोई अन्य सुधार-कार्य विद्यमान हो, और उसके साथ-समीप में उसके द्वारा मूलत: धारित भू-खंडों के मूल्यांकन के बराबर क्षेत्र आवंटित किया जाता है।

(च) हरेक रैयत को यथासंभव, आयतीकरण की प्रक्रिया के अनुरूप आयताकार इकाइयों में चक आवंटित किये जाते हैं; और

2.अन्त: स्थापित (तत्रैव) ।

Scanned with OKEN Scanner

(छ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए किसी दर-रैयत द्वारा धारित सभी भूमि समेकित की जाती है:

परंतु स्कीमों की संपुष्टि के पहले किसी दर-रैयत द्वारा धारित भूमि के बदले स्कीम के अधीन उसे आवंटित भूमि, स्कीम के अधीन उस रैयत को आवंटित नयी जोत का भाग होगी, जिस रैयत के अधीन दर-रैयत मूलतः भूमि धारित करता था।

(3) उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ, सहायक समेकन पदाधिकारी के लिए निम्नलिखित विधिपूर्ण होगा: —

(i) यह घोषित करना कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित कोई भूमि इस प्रकार समनुदेशित नहीं रह गयी है और ऐसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई अन्य भूमि देना:

परन्तु समेकन पदाधिकारी के लिए यह निदेश देना विधिपूर्ण नहीं होगा कि श्मशान अथवा अन्य धार्मिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित भूमि उस प्रकार समनुदेशित न रह जायगी, जबतक कि यह ग्राम सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय;

(ii) सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त भूमि देना, और

(iii) यह निदेश देना कि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अलग रखी गयी भूमि में से किसी क्षेत्र का उपयोग भूमिहीन श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण में किया जायगा।

(4) धारा 9 के अधीन तैयार किये गये रजिस्टर में (जो स्कीम के साथ संलग्न रहेगा) अन्तर्विष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त स्कीम में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रहेगा:—

(i) किसी रैयत को आवंटित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी जोतों का वर्णन और क्षेत्रफल तथा उनका मूल्यांकन;

(ii) वास-स्थल के विस्तार तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग रखी जानेवाली भूमि का वर्णन और क्षेत्रफल ;

(iii) भूमिहीन श्रमिकों के निमित्त गृह निर्माण के लिए अलग रखी जानेवाली भूमि का वर्णन और क्षेत्रफल;

(iv) वर्त्तमान जोत के लिए देय लगान ;

(v) नयी जोत के लिए नियत किये जानेवाला प्रस्तावित लगान;

(vi) किसी रैयत की वर्त्तमान जोत में समाविष्ट भूमि के किसी भूखंड पर ऋणभार (विल्लंगम), यदि कोई हो;

(vii) किसी रैयत को आवंटित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी जोत में समाविष्ट भूमि के लिए किसी भूखंड पर अन्तरित या उसके साथ संलग्न किया जानेवाला ऋणभार (विल्लंगम), यदि कोई हों, और

(viii) अन्य यथाविहित विशिष्टियां ।

(5) धारा 8 के अधीन तैयार किये गये नक्शे के साथ एक दूसरा नक्शा संलग्न रहेगा जिसमें समेकन के बाद हर रैयत को आवंटित किये गये और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूखंडों की स्थिति दिखलायी रहेगी।

(6) यदि सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाय, तो ऐसी भूमि रैयतों द्वारा अपनी भूमि के बाजार मूल्य के अनुपात में दी जायगी:

परन्तु ऐसा कोई रैयत, जिसके पास निहित क्षेत्र के बराबर या उससे कम भूमि हो, इस उपधारा के अधीन भूमि न देगा।

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्टीकरण: —राज्य सरकार की भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार रैयत समझी जायगी।

टिप्पणी

[अगर किसी व्यक्ति के पास हदबंदी सीमा के अन्तर्गत भूमि है और उससे चकबंदी योजना के अन्तर्गत जमीन प्राप्त करनी है तो उसे बाजार दर से मुआवजे का भुगतान किया जायेगा। ए० आई० आर०1967 एस०सी० 856।

चकबन्दी निदेशक अगर आरक्षण (रिजर्वेशन) के आदेश में यह संकेत नहीं देता कि जो क्षेत्र लिया जा रहा है वह (रेटेबेल) अंश के अनुपात में है तो वह आदेश निदेशक के अधिकार से बाहर का समझा जायेगा। (1967) 2 एस०सी०ए० 451: (1967)3 एस० सी० आर० 986: ए० आई० आर०1967 एस० सी० 1968।

चकबन्दी पदाधिकारी गैर मालिक के आबादी के लिए गाँव के आम प्रयोजन की भूमि को नहीं ले सकता। **गोहरीमल बनाम डायरेक्टर ऑफ कन्सोलिडेशन ऑफ होलडिंग,** ए०आई०आर०1967 सुप्रीम कोर्ट 1568।

सार्वजनिक काम का अर्थ है जिसमें जनसाधारण की भलाई हो। **रामचन्द्र बनाम डी० एम० अलीगढ़,** ए० आई० आर० 1955 इलाहाबाद 520।

सार्वजनिक काम है या नहीं, यह (फैक्ट) प्रमाण की बात हैं **लक्ष्मेश्वर सिंह बनाम चेयर मैन, दरभंगा म्युनिसिपेलिटी,** 17 आई० ए० 90।

बिहार सरकार ही सक्षम अधिकारी है इस निर्णय के बारे में कि एक अमुक काम जनसाधारण के हित का है या नहीं। **मूसा हाजी हसन बनाम सिक्रेटरी ऑफ स्टेट,** 19 सी० डब्लू० एन० 305 ।

श्मशान और कब्रीस्तान दोनों ही चकबन्दी के ड्राफ्ट स्कीम में शामिल है। **मिर्जा सुलेमान बेग बनाम हरीहर महतो,** 1985 पी० एल० जे० आर० 152 ।

12. स्कीम के प्रारूप का प्रकाशन।—(1) समेकन स्कीम का प्रारूप तैयार हो जाने के बाद सहायक समेकन पदाधिकारी स्कीम इकाई में प्रकाशित करेगा और सामान्य सूचना देगा कि सभी रैयत बिना शुल्क स्कीम के सुसंगत उद्धरण ले सकते हैं।

(2) धारा 10 क में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जिसके अधिकार या हित पर समेकन स्कीम के प्रारूप से सारत: कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या जिसका अधिकार अथवा हित उससे प्रभावित होता हो अथवा जो समेकन स्कीम के प्रारूप या उससे दिये गये उद्धरणों में की गयी प्रविष्टियों के औचित्य और शुद्धता पर विवाद उठाये, समेकन स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सहायक समेकन पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी:—

(i) भूमि में या उसपर उसके किसी हित या अधिकार का स्वरूप;

(ii) ऐसे हित या अधिकार पर किस रीति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(iii) ऐसे हित या अधिकार के लिए प्रतिकर के दावे, यदि कोई हों, की राशि और ब्योरा:

परन्तु सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किसी सड़क, बाजार-सड़क, गली, पथ, प्रणाल, नाली, तालाब, चरागाह या अन्य भूमि में या उस पर किसी हित या अधिकार के समाप्त या कम हो जाने के मद्धे राशि का कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

12-क. आपत्तियों का निपटारा।— (1) धारा 12 में विनिर्दिष्ट कालावधि समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र, सहायक समेकन पदाधिकारी अपने द्वारा प्राप्त सभी आक्षेप समेकन पदाधिकारी के पास भेज देगा, जो संबद्ध पक्षकारों और ग्राम सलाहकार समिति को सूचना देने के बाद, इसमें आगे अधिकथित रीति से उनका निपटारा करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन समेकन पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की

Scanned with OKEN Scanner

तारीख से 30 दिनों के भीतर, सहायक समेकन निदेशक के पास अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अन्तिम होगा।

(3) सम्बद्ध पक्षकारों और ग्राम सलाहकार समिति को सूचना देने के बाद आपत्ति का विनिश्चय करने के पूर्व, समेकन पदाधिकारी विवादग्रस्त भू-खण्डों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा अपील का विनिश्चय करने के पूर्व सहायक समेकन निदेशक भी ऐसा निरीक्षण कर सकेगा।

12 ख. यदि यथास्थिति, समेकन पदाधिकारी या सहायक समेकन निदेशक का यह समाधान हो जाय कि, यथास्थिति, समेकन पदाधिकारी द्वारा तैयार किये गये या बाद में समेकन पदाधिकारी द्वारा यथा उपांतरित समेकन स्कीम के प्रारूप को प्रभावी करने में अनेक रैयतों या दर-रैयतों के साथ तात्विक अन्याय होने की सम्भावना है, और समेकन स्कीम के प्रारूप को पुनरीक्षित किये बिना या समेकन स्कीम का एक नया प्रारूप तैयार किये बिना इकाई के रैयतों या दर-रैयतों की भूमि का वाजिब और समुचित आवंटन संभव नहीं है, तो अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से—

(i) संबद्ध रैयतों या दर-रैयतों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद समेकन स्कीम के प्रारूप को पुनरीक्षित करना या उसे सहायक समेकन पदाधिकारी के समक्ष, ऐसे निदेश के साथ जिसे समेकन पदाधिकारी आवश्यक समझे, प्रतिप्रेषित करना समेकन पदाधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा, और

(ii) संबद्ध रैयतों या दर-रैयतों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद समेकन स्कीम के प्रारूप को पुनरीक्षित करना या उसे ऐसे निदेश के साथ, जो वह आवश्यक समझे, सहायक समेकन पदाधिकारी या समेकन पदाधिकारी के पास, जैसा सहायक समेकन निदेशक उपयुक्त समझे, प्रतिप्रेषित करना, सहायक समेकन निदेशक के लिए विधिपूर्ण होगा।

टिप्पणी

[चकबंदी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, पर इसे हाईकोर्ट के रिट जुरिश्डिकशन में चुनौती दी जा सकती है जब उसमें भूल, देखने ही से स्पष्ट मालूम पड़े। **हरिविष्णु कामथ बनाम कंकर**, ए० आई० आर० 1955 एस० सी० 283।

चकबन्दी पदाधिकारी प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए अन्तिम न्यायालय है। इसलिए उसके रिकॉर्ड के इन्दराज को कोई कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। **वचन बनाम कंकर**, (1972) 2 एस० सी०सी० 555 ।

यह प्रावधान आदेशात्मक है। किसी एतराज को बिना दोनों पक्ष तथा ग्राम सलाहकार समिति को सूचना दिए, निर्णय नहीं किया जा सकता । **सूरजमल प्रसाद सिंह बनाम डाइरेक्टर ऑफ कॉन्सोलिडेशन**, 1980 बी० बी० सी० जे० 377।]

13. समेकन निदेशक के समक्ष स्कीम का उपस्थापन ।—(1) सहायक समेकन निदेशक समेकन स्कीम का प्रारूप संपुष्ट कर देगा :—

(क) यदि धारा12 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति दाखिल न की जाय, या

(ख) जहां ऐसी आपत्तियां दाखिल की जायं, वहां धारा 12 क की उप-धारा (1) से (4) तक के अधीन पारित आदेश को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे उपांतरणों या परिवर्तनों के बाद, जो आवश्यक हो।

(2) इस प्रकार संपुष्ट समेकन स्कीम का प्रारूप इकाई में प्रकाशित किया जायगा और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अन्तिम होगा।

(3) (i) यदि धारा 11 के अधीन किये गये आवंटन धारा 12 क के अधीन उपांतरित न किये जायं और उप-धारा (1) के अधीन संपुष्ट कर दिये जायं तो धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये उद्धरणों में अन्तर्विष्ट प्रविष्टियां, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबन्धित के सिवाय संबद्ध रैयतों और दर-रैयतों के लिए अंतिम आवंटन आदेश समझी जायंगी;

Scanned with OKEN Scanner

(ii) उप-धारा (1) के अधीन यथासंपुष्ट स्कीम के उद्धरण, जिनमें संबद्ध रैयतों को किये गये आवंटन दिखाये रहेंगे, निम्नलिखित द्वारा जारी किये जायेंगे:—

(क) जहाँ आवंटन उपांतरित न किये गये हों, वहां समेकन पदाधिकारी द्वारा; और

(ख) जहां आवंटन उपांतरित किये गये हों, वहां सहायक समेकन निदेशक द्वारा;

और वे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबद्ध रैयतों और दर-रैयतों के लिए अन्तिम आवंटन आदेश होंगे।

टिप्पणी

[पूर्व-निपटारा (रेस जुडिकेटा) चकबन्दी की कार्यवाहियों में लगेगा। ए० आई० आर०1965 इलाहाबाद 296 ।

चकबन्दी कानून की संपुष्टि उच्च न्यायालय को संविधान की धारा 226 के अधिकार से वंचित नहीं करती। ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 304 (एफ० बी०); ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1968 ; ए० आई० आर० 1967 एस० सी०-927 (928 से 930); ए० आई० आर० 1965 पंजाब 376 (एस० बी०) ।

किसी एक चकबन्दी पदाधिकारी का फैसला, दोनों पक्षों के बीच दूसरे मौजे के लिए रेस जुडिकेटा, मान्य होगा। **श्री कनीजान बनाम गुलाम नवी**, ए० आइ० आर० 1965 इलाहाबाद 296: 1964 ए० एल० जे०1112 : 1964 इलाहाबाद डब्लू० आर० (एच० सी०) 784।

एक बार ऐसा फैसला हो जाने पर दूसरी कचहरी को उस विषय को सुनने का अधिकार नहीं है। **सीता बनाम यू० पी० सरकार**, ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 342 ।

चकबन्दी में प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 226, (संविधान) का अधिकार कायम रहता है। परन्तु यह अधिकार उच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है। कचहरी साक्ष्य एवं परिस्थिति के अनुसार अपने इच्छा को मोड़ सकती है। **चौबे सुन्दर लाल बनाम सोनू**, ए०आई०आर०1969 इलाहाबाद 304।]

14. वृक्षादि का कब्जा और उनके लिए राशि का प्रोद्भवन ।— (1) समेकन पदाधिकारी वह तारीख नियत करेगा, जिस तारीख से अंतिम समेकन स्कीम प्रवृत्त होगी और उसे इकाई में विहित रीति से अधिसूचित करेगा।

(2) उक्त तारीख को और उसके बाद, कोई रैयत या दर-रैयत, उसे आवंटित भू-खंडों पर कब्जा करने का हकदार हो जायगा

(3) ऐसा हरेक रैयत या दर-रैयत, जिसे अंतिम समेकन स्कीम के प्रवर्तन के अनुसरण में उसे आवंटित भूखंडों पर वृक्ष, बांसवारी, कुएँ, और अन्य सुधार कार्य विद्यमान मिले हों, उन पर कब्जा कर लेने के बाद के उसके पूर्वतर रैयत को, उसे आवंटित भूखंडों पर विद्यमान वृक्षों, बांसवारियों, कुओं और अन्य सुधार कार्यों के लिए, विहित रीति से अवधारित की जाने वाली राशि देने का दायी होगा।

टिप्पणी

[धारा 14 के अन्तर्गत जब तक चकबन्दी योजना लागू नहीं हो जाती है तबतक सिविल कोर्ट किसी मुकदमे की सुनवायी अनिवार्य रूप से स्थागित रखेगी। ए० आई० आर० 1964 पंटना 357

अगर इस कानून के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति की दूसरी अपील (संशोधन संबंधी) लम्बित रहती है तो वह अपनी जमीन की अदला-बदली के लिए राजी नहीं होगा। ए०आई०आर० 1966 पंजाब 111 (116-118) एफ० बी० ।

देय रकम को निर्धारित प्रकार से निश्चित करना चाहिए। **के० टी० एम० नायर बनाम केरल सरकार**, ए० आइ० आर० 1961 ए० सी० 552 ।

लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्दर निर्धारित मुआवजा चकबन्दी के लिए भी उचित होगा। राम सहाय बनाम सिक्रेटरी ऑफ स्टैट, 8 सी० डब्लू० एन० 671; **विजय कान्त रहरी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टैट**, ए० आई० आर०1934 कलकत्ता 97 ।]

Scanned with OKEN Scanner

15. अंतरण का प्रमाण-पत्र।— (1) समेकन पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक रैयत को, जिसे समेकन स्कीम के अनुसरण में जोत (होल्डिंग) आवंटित की गयी हो विहित प्ररुप में विहित विशिष्टियों से अंतर्विष्ट एक प्रमाण-पत्र देगा। ऐसा प्रमाण-पत्र उस जोत पर ऐसे रैयत के हक का निश्चायक सबूत होगा और वह उस लगान का, जो प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट हो, भुगतान करने का दायी होगा।

(2) हरेक दर-रैयत को, चाहे स्कीम के अनुसरण में आवंटित किसी भूमि में उसे अधिभोग का अधिकार हो या नहीं, समान अंतरण प्रमाण-पत्र दिया जायगा और वह प्रमाण-पत्र ऐसी भूमि पर ऐसे दर-रैयत के हक का निश्चायक सबूत होगा तथा वह प्रमाण-पत्र में यथा-विनिर्दिष्ट उतना लगान ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने का भागी होगा जैसा प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट हो।

(3) इस धारा के अधीन निर्गत किये गये किसी प्रमाण-पत्र के लिए स्टांप शुल्क देय न होगा।

16. पुष्ट स्कीम को अंतिम रुप से प्रकाशित अधिकार-अभिलेख माना जाना—जब धारा 15 के अधीन अंतरण का प्रमाण-पत्र रैयतों और दर-रैयतों को प्रदान किया जा चुका हो तो, धारा 13 के अधीन पुष्ट स्कीम, धारा 8 के अधीन तैयार अद्यतन अधिकार-अभिलेख का अतिक्रमण करते हुए बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 का 8) के अध्याय 10 के अधीन या यथास्थिति, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम संख्या 5) के अध्याय 12 के अधीन या संथाल परगना बंदोबस्त विनियम, 1872 (1872 का विनियम, संख्या 3) के अधीन तैयार और अंतिम रुप से प्रकाशित अधिकार-अभिलेख माना जायगा।

17. समेकन के पश्चात रैयतों के हक का यथापूर्व होना।—समेकन स्कीम के अनुसरण में किसी रैयत को उसे आवंटित भूमि में वही अधिकार होगा जो उसे मूल जोत (होल्डिंग) में था।

17क. नयी जोत के कब्जे का अधिकार।—(1) यदि धारा 13 के अधीन पुष्ट समेकन स्कीम से प्रभावित सभी रैयत, उसके अधीन आवंटित जोतों (होल्डिंग) पर कब्जा के लिए सहमत हो जायं, तो समेकन पदाधिकारी उन्हें धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन नियत तारीख से ऐसे कब्जे के लिए अनुमत कर सकेगा।

(2) यदि पूर्वोक्त सभी रैयत, उप-धारा (1) के अधीन कब्जा करने के लिए सहमत न हों, तो वे धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन स्कीम के प्रकाशन की तारीख के बाद, ठीक अगले कृषि-वर्ष के प्रारम्भ से, उन जोतों के कब्जे के हकदार होंगे, जो उन्हें आवंटित की गयी हों, और समेकन पदाधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, खड़ी फसलों यदि हों, के साथ, उन जोतों का कब्जा दिला देगा, जिनके वे हकदार हैं, और ऐसा करने के लिए, उसे अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति सहित सभी शक्तियां और ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो स्थावर सम्पत्ति का कब्जा दिलवाने की डिक्री के निष्पादन में, किसी सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हों:

परन्तु उप-धारा (1) के अधीन किसी जोत पर कब्जा करने या उप-धारा (2) के अधीन किसी जोत पर कब्जा दिलाये जाने का रैयत का अधिकार उस दर-रैयत के अधिकार के अध्यधीन होगा जिसे ऐसी जोत में समाविष्ट कोई भूमि समेकन के अधीन आवंटित की गयी हो:

परन्तु यह और भी कि कब्जा दिलाने से उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा अन्तरित किया गया हो, कब्जा दिलाने की तिथि को ऐसे चकों या भूमि या उसके किसी भाग पर लगी फसलों की रखवाली करने और काटने का अधिकार तब तक प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि सहायक समेकन पदाधिकारी अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से यह विनिश्चित न कर दे कि उन फसलों का भी कब्जा दिया जायगा:

परंतु यह भी कि द्वितीय परंतुक के अनुसार लगी फसल की रखवाली करने और उसे काटनेवाला व्यक्ति उस व्यक्ति को, जिसे चक या भूमि आवंटित की गयी हो, भूमि के उपयोग के लिए यथाविहित दर और रीति से राशि चुकाने का दायी होगा।

(3) जिस तारीख को रैयत या दर-रैयत आवंटित चक या भूमि पर कब्जा करने का हकदार हो

Scanned with OKEN Scanner

जाय, उस तारीख से छह महीने की समाप्ति पर बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रवृत्त होने के पूर्व या उसके बाद या उस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, यथास्थिति, रैयत या दर-रैयत के बारे में, जब तक कि कब्जा पहले न दिया जा चुका हो, यह समझा जायगा कि आवंटित चक या भूमि पर उसका वास्तविक वस्तुगत कब्जा हो गया है:

परंतु रैयत या दर-रैयत द्वारा इस प्रकार कब्जा किये जाने से उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा अंतरित किया गया समझा गया हो, पूर्वोक्त छह महीने की अवधि के समाप्त होने की तारीख को चक या भूमि या उसके किसी भाग पर खड़ी फसल की रखवाली करने और उसे काटने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी

[धारा 4 में प्रयुक्त 'हस्तांतरण' शब्द के अर्थ में, बटवारा का अर्थ नहीं शामिल है और बटवारा के सम्बन्ध में मुकदमें विचारणीय है। 1967 बी॰ एल॰ जे॰ आर॰ 9; 1964 पटना 357 ; 1964 बी॰ एल॰ जे॰ आर॰ 84 ;ए॰ आई॰ आर॰ 1957 पटना 570 ।]

18. विल्लंगमों का अंतरण ।— [1][(1) यदि किसी समेकन स्कीम में जो धारा 14 के अधीन लागू की गई हो, सम्मिलित जोत (होल्डिंग) किसी पट्टे, बंधक या अन्य विल्लंगम (इनकमब्रेंस) के अध्यधीन हो, तो ऐसा पट्टा बंधक या अन्य विल्लंगम उस तारीख को धारा 17-क के अधीन कब्जा लिया या परिदत्त किया गया हो, स्कीम के अधीन रैयत की आवंटित जोत (होल्डिंग) या उसके ऐसे भाग में जैसा समेकन पदाधिकारी निदेशित करें, अंतरित और उससे संलग्न समझा जायेगा और इसका उस जोत पर जिससे उसे इस प्रकार अंतरित किया गया, कोई प्रभाव न रह जायेगा ।]

(2) यदि वह जोत, जिस पर उपधारा (1) के अधीन पट्टा बंधक या अन्य विल्लंगम अंतरित किया गया हो, मूल जोत, जिससे इसे अंतरित किया गया हो, की अपेक्षा कम बाजार मूल्य की हो तो, यथास्थिति, पट्टेदार, बंधकदार या अन्य विल्लंगमधारी, धारा 20 के उपबंधों के अध्यधीन पूर्ववर्त्ती जोत के रैयत द्वारा ऐसे प्रतिकर के भुगतान का हकदार होगा, जो समेकन पदाधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय, और ऐसा प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन रैयत को भुगतेय प्रतिकर पर प्रथम भार होगा।

(3) धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कब्जे के हकदार पट्टेदार, बंधकदार या अन्य विल्लंगमधारी को, यदि आवश्यक हो तो, यथास्थिति, उस जोत या जोत के भाग का कब्जा दिया जा सकेगा, जिससे उसका पट्टा, बंधक या अन्य विल्लंगम उपधारा (1) के अधीन अंतरित किया गया हो।

19. राशि का भुगतान ।— (1) जहाँ धारा 17 के अधीन खड़ी फसल पर भी कब्जा दिया जाय, वहां सहायक समेकन पदाधिकारी कब्जा पानेवाले रैयत या दर-रैयत द्वारा ऐसी फसल के संबंध में देय राशि, विहित रीति से अवधारित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, समेकन पदाधिकारी के समक्ष अपील पेश कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. राशि की वसूली ।—(1) जहां कोई रैयत, जिससे इस अधिनियम के अधीन राशि वसूलीय हो, विहित अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में असफल रहे, वहां उसे प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति, वसूली के जो अन्य तरीके उसे सुलभ हों उनके अतिरिक्त, उसे देय रकम अपनी ओर से वसूली जाने के लिए यथाविहित समय के भीतर, कलक्टर के पास आवेदन कर सकेगा, मानो वह सरकार को देय राजस्व का बकाया हो।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर धारा 17 के अधीन कब्जा प्राप्त करने की तारीख से तीन महीनों के भीतर, पूर्णतः या अंशतः चुकाया नहीं जाय, वहां इस प्रकार देय रकम पर छह प्रतिशत की दर से व्याज लिया जायगा।

---

1. बिहार अधिनियम 35, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

21. अंतरण को प्रभावी करने के लिए किसी लिखत की आवश्यकता नहीं ।—जोत के समेकन की स्कीम को कार्यान्वित करने के सिलसिले में अंतर्ग्रस्त किसी अंतरण को प्रभावी करने के लिए किसी लिखित लिखत की आवश्यकता न होगी; और न किसी लिखत पर, यदि उसका निष्पादन किया गया हो, स्टांप शुल्क या उसके रजिस्ट्रीकरण की ही आवश्यकता होगी।

22. कतिपय विधियों के लागू होने पर वर्जन ।—निबंधन अधिरोपित करनेवाले या किसी भूमि के अंतरण के लिए भूस्वामी की रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान उपबंधित करनेवाले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध इस अधिनियम के अधीन जोतों के समेकन की स्कीम को कार्यान्वित करने के सिलसिले में अंतर्ग्रस्त अंतरणों पर लागू न होंगे।

23. समेकन की सहायता के लिए उधार ।—इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए किसी रैयत को या भूमि में अधिभोगाधिकार रखनेवाले दर-रैयत को भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन उधार अनुदत्त किया जा सकेगा।

24. समेकन कार्यवाही का व्यय ।—समेकन कार्यवाही का व्यय विहित रीति से निर्धारित किया जायगा और वह उन रैयतों से, जिनकी जोतों पर समेकन स्कीम से प्रभाव पड़ता हो, पूर्णतः या अंशतः उसी प्रकार वसूलनीय होगा जैसा सरकार अवधारित करे:

परंतु यह कि इस प्रकार वसूली गयी रकम प्रति एकड़ चार रुपये से अधिक न होगी।

25. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि के अभिदाय के कारण भू-राजस्व का घटाया जाना ।—(1) जहां धारा 11 के उपबंध के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अभिदाय के परिणामस्वरूप, किसी रैयत की मूल जोत का क्षेत्रफल घटाया जाय, वहां जोत के लिए देय लगान उसी अनुपात में कम कर दिया जायगा जो अनुपात इस प्रकार अभिदत्त क्षेत्रफल का जोतों के मूल कुल क्षेत्रफल के साथ हो और घटाया गया लगान समेकन योजना के प्रारूप में दिखाया जायगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी कमी से व्यथित रैयत, धारा 12 के अधीन समेकन स्कीम प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर [1][सहायक समेकन निदेशक] के समक्ष आपत्ति दाखिल कर सकेगा, जिस पर उसका आदेश अंतिम होगा।

26. रैयतों द्वारा लोक प्रयोजनार्थ अभिदत्त भूमि के लिए राशि ।—(1) (क) प्रत्येक रैयत को, जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अभिदत्त किया गया हो, इस प्रकार अभिदत्त भूमि के लिए, धारा 25 के अधीन घटाये गये वार्षिक लगान के चार-गुने के बराबर राशि का भुगतान किया जायगा।

(ख) इस प्रकार अभिदत्त भूमि में पड़नेवाले वृक्ष, बासवारी और कूप तथा अन्य विकास की दशा में राशि, धारा 14 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जायगी।

(2) रैयत को देय राशि का भुगतान, इस अधिनियम के अधीन संक्रिया खर्च के समायोजन के बाद, नकद किया जायगा।

(3) जहां कोई भूमि, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन राशि का भुगतान किया जा चुका है, दर-रैयत के कब्जे में हो, वहां रैयत को देय राशि में से पचास प्रतिशत के बराबर रकम भूमि में दर-रैयत के अधिकार, हक और हित के संबंध में, दर-रैयत को दी जायगी।

26. क. समेकन संक्रियाओं का बंद किया जाना ।—(1) नये नक्शे और अभिलेखों के तैयार कर लिये जाने और स्कीम के अधीन रैयतों को अंतरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना जारी करेगी जिसमें यह वर्णित रहेगा कि उस इकाई में समेकन संक्रियाएं बंद कर दी गयी है:

---

1. बिहार अधिनियम 35, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

परंतु इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने का कोई प्रभाव इस अधिनियम के अधीन संक्रियाओं का खर्च नियत, वितरित और वसूल करने की राज्य सरकार की शक्तियों पर नहीं पड़ेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, भारत-संविधान के उपबंधों के अधीन दाखिल किये गये मामलों और रिटों में अथवा उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत होने की तारीख को इस अधिनियम के अधीन लंबित मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम अधिकारितावाले न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश को यथाविहित प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी बनाया जायगा, और तत्प्रयोजनार्थ समेकन संक्रियाएं समाप्त की गयी नहीं समझी जायंगी।

27. [1][xxxxx]

28. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस प्रकार भूमि का अर्जन नहीं किया जाना, जिसमें कोई खंड रह जाय ।—जब धारा 13 के अधीन किसी समेकन स्कीम का पुष्टिकरण कर दिया जाय तो अधिसूचित क्षेत्र की ऐसी किसी भूमि को राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा अर्जित नहीं किया जायगा जिसमें कोई खंड रह जाय।

29. स्वैच्छिक-समेकन के लिए विशेष उपबंध ।—(1) ऐसे क्षेत्र में, जो अधिसूचित क्षेत्र न हो, भूमि रखनेवाले दो या दो से अधिक रैयत जिला समाहर्ता की अनुज्ञा से स्वेच्छया अपनी जोतों को समेकित कर सकेंगे, और धारा 21 तथा 22 के उपबंध ऐसे समेकन में अंतर्ग्रस्त किसी अंतरण पर लागू होंगे ।

(2) जो समेकन स्कीम प्रवृत्त हो चुकी हो उसमें सम्मिलित भूमियों पर इस अधिनियम के लागू होने योग्य उपबंध, उप-धारा (1) के अधीन समेकित जोत में सम्मिलित किसी भूमि पर लागू होंगे।

29. क. काश्तकारों द्वारा तैयार की गयी समेकन-स्कीम की मान्यता ।—(1) उप-समेकन निदेशक, समेकन क्षेत्र के भीतर या बाहर के ग्राम के संबंध में उस ग्राम के काश्तकारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गयी समेकन-स्कीम को मान्यता दे सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि वह इस अधिनियम में दिये गये व्यापक समेकन के अनुरुप है और उसे सभी संबद्ध काश्तकारों का समर्थन प्राप्त है तथा यह अन्यथा भी सभी संबद्ध लोगों के लिए उचित है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन मान्यताप्राप्त समेकन-स्कीम, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार और संपुष्ट की गयी समझी जायगी तथा उसके अधीन प्रवर्त्तित की जायगी।

अध्याय 3

खंडों का व्यवहार।

30. [1][xxxxx]

31. खंडों का अन्तरण ।—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के होने पर भी, कोई व्यक्ति बिक्री, दान या विनिमय के जरिये ऐसे किसी भू-खण्ड का कोई भाग, जो भाग समेकित क्षेत्रों में स्थित खण्ड हो, उस रैयत को छोड़ जिसका भू-खण्ड अन्तरित की जानेवाल भूमि से लगा हुआ हो, किसी अन्य को अन्तरित नहीं करेगा:

परन्तु, यदि अन्तरण ऐसे सम्पूर्ण प्लाट (भूखण्ड) का हो, जो कोई खण्ड हो, तो यह किसी भी रैयत के पक्ष में किया जा सकता है:

परन्तु, यह और कि बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (1935 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम 6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी सोसाइटी अथवा, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 5, 1970) की प्रथम अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट बैंक अथवा कृषि प्रयोजनों के निमित उधार देने के लिए गठित ऐसी कंपनी या निगम जो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की हो जिसकी शेयर पूंजी का कम-से-कम पचास प्रतिशत राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा अंशत: राज्य सरकार

1. बिहार अधिनियम 27, 1975 द्वारा लुप्त ।

Scanned with OKEN Scanner

और अंशत: केंद्रीय सरकार द्वारा धारित हो, के हाथ बंधक या अंतरण करने पर कोई वर्जन न होगा।

(2) किसी समेकित जोत (होल्डिंग) में शामिल किसी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई ऐसी डिक्री या आदेश पारित नहीं किया जायगा जिससे कोई खंड सृजित हो या कोई खंड बच जाय।

[बटवारा सम्बन्धी मुकदमा विचारणीय है और इससे कानून के उद्देश्यों पर आघात नहीं पहुँचता। 1967 बी०एल० जे० आर० 9 ।]

अध्याय 4

प्रकीर्ण।

32. भूमि अन्तरण पर प्रतिषेध ।—इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल किसी भूमि या खंड का अंतरण शून्य होगा; और इस प्रकार अंतरित किसी भूमि का स्वामी दो सौ पचास रुपयों से अनधिक ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जिसे जिले का कलक्टर, राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अधीन रहते हुए निदेशित करे।

33. पदाधिकारियों की सर्वेक्षण तथा सीमांकन के लिए भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति ।—समेकन निदेशक या समेकन पदाधिकारी अथवा उसके आदेशों के अधीन कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति, किसी भी समय निवास गृह से भिन्न किसी भूमि पर, ऐसे पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर सकेगा या माप ले सकेगा अथवा ऐसा कोई अन्य कार्य कर सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के अधीन, अपने किन्हीं कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझें।

33.क. लिपिकीय या गणितीय भूल की शुद्धि ।—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि समेकन पदाधिकारी या सहायक समेकन निदेशक का यह समाधान हो जाए कि, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन तैयार की गयी किसी दस्तावेज में अभिलेख को देखने से ही प्रकट कोई लिपिकीय या गणितीय भूल विद्यमान हो तो वह स्वत: या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन करने पर उसे शुद्ध करेगा।

34. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन, अपनी किन्हीं शक्तियों या कृत्यों को कलक्टर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) समेकन निदेशक, राज्य सरकार की मंजूरी से, इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों या कृत्यों को उप-कलक्टर से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) जहाँ इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन के किसी प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का संपादन किया जाना हो, वहाँ उससे उच्चतर प्राधिकारी भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का संपादन कर सकेगा।

टिप्पणी

[चकबन्दी निदेशक द्वारा अधिकार सौंपा जाना। 'G' के चकबन्दी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की वैधता—राज्य मूल आदेश प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह ठीक नहीं है कि चूँकि बिना यथोचित नियुक्ति के 'G' काम नहीं कर सकता इसलिए उसकी नियुक्ति चकबन्दी अधिकारी के रूप में जरूर हुई होगी। अजीत **सिंह बनाम पंजाब सरकार**, ए० आइ० आर० 1967 एस० सी० 856 ।

चूँकि चकबन्दी कानून में कोई प्रावधान (प्रोविजन) नहीं है जो राज्य सरकार को यह अधिकार दे कि वह भूतलक्षी प्रभाव से कार्य करे और अधिकारों का उपयोग करे इसलिए इस आशय की कोई अधिसूचना (नोटिफिकेशन) अवैध मानी जायगी। ए० आई० आर० 1959 पंजाब 453 (454, 457) एफ० बी० ।

बिना चकबन्दी पदाधिकारी की नियुक्ति हुए, उसका कोई भी काम प्रभावहीन होगा। सरकार किसी को पिछले समय से चकबन्दी पदाधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती। यह काम व्यवस्थापिका का होगा, यदि

Scanned with OKEN Scanner

संविधान के अनुसार किया जाय । **अजीत सिंह बनाम पंजाब सरकार**, ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 856 ।]

35. पुनरीक्षण और निर्देश ।—समेकन निदेशक स्वेच्छा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने पर, कार्यवाही की नियमितता या ऐसे प्राधिकारी द्वारा मामले (केस) या कार्यवाही में पारित किये गये किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित मामले या की गयी कार्यवाही का अभिलेख मांग सकेगा और उसकी जाँच कर सकेगा, तथा संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले या कार्यवाही में ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।

टिप्पणी

[यह धारा चकबन्दी निदेशक को अधिकार देती है कि वह देखे कि उसके मातहत अधिकारी मनमानी या गैर कानूनी ढंग से काम नहीं करें **शेर सिंह बनाम जवायण्ट डायरेक्टर आफ कनसोलिडेशन**, (1978) 3 एस० सी० सी० 172.

जहाँ अधिकार प्रयोग से किसी पार्टी को गम्भीर हानि हुई हो, रिविजन में छेड़छाड़ करना उचित है। **अब्दुल गफूर बनाम अब्दुल रहमान**, ए० आई० आर० 1954 इलाहाबाद 845.

यह स्पष्टत: निश्चित है कि रीविजन के लिए कोई अवधि की सीमा निर्धारित नहीं है, परन्तु बिना कारण अधिक बिलम्ब करने पर यह राहत उपलब्ध नहीं होगी। **रामचन्द्र बनाम पन्नालाल**, ए० आई० आर० 1954 (एस० सी०) 191। यह धारा, धारा 10(क) के अधीन है। यदि पूर्ववत् आपत्ति न उठायी गयी हो तो डिस्ट्रक्ट जज हस्तक्षेप नहीं कर सकता। **जगरनाथ ठाकुर बनाम बिहार सरकार**, 1984 बी० एल० जे० 333 : 1984 पी० एल० जे० आर० 310 ।

डायरेक्टर कौन्सोलिडेशन किसी के आवेदन पर या स्वयं धारा 35 में दिए पुनर्विचार के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी हालत में धारा 10 (क) का प्रतिबन्ध बाधक नहीं होता अर्थात् यदि धारा 10 (क) में कोई आपत्ति नहीं की गयी हो, तो पुनर्विचार में उससे बाधा नहीं हो सकती। **श्याम बिहारी उपाध्याय बनाम बिहार सरकार**, 1985 पी० एल० जे० आर० 43।]

36. अपील और पुनरीक्षण ।—इस अधिनियम में यथोपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश पर कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा।

टिप्पणी

[जहाँ तीन वर्ष बाद दरखास्त दिया गया और यह बतलाया नहीं गया कि प्रार्थी पूरे तीन वर्षों में याचना दायर करने के लिए अशक्त था, या अन्य माकूल वजह थी। ऐसी हालत में अडिशनल डायरेक्टर का देर को शमित करने का अधिकार नहीं था, जब उन्होंने ऐसा प्रतिपादित नहीं किया कि दिए गए आधार पर वे सन्तुष्ट थे कि देर से आने का समुचित कारण था। उनका आदेश अधिकार से परे था ।**एस० गुरदियाल सिंह बनाम पंजाब सरकार**, ए० आई० आर० 1968 पंजाब, 267.]

37. कोई भी सिविल न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दिये गये या पारित किसी विनिश्चय या आदेश में हेर-फेर या उसे अपास्त करने के लिए अथवा किसी ऐसे अन्य विषय के संबंध में, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी, कोई वाद या आवेदन ग्रहण नहीं करेगा।

टिप्पणी

[सिविल कोर्ट का अधिकार इस धारा से हटा दिया गया है। परन्तु यदि चकबन्दी पदाधिकारी ने किसी जमीन की हकीयत या अधिकार के सम्बन्ध में कोई फैसला दिया है जिसके विषय में विपक्षियों में विभेद था, या जो कानून या न्याय के स्वाभाविक श्रोत के विरूद्ध है तो उस सम्बन्ध में सिविल कोर्ट सदा इस विषय की जांच कर निर्णय दे सकता है। **वेस्ट बंगाल सरकार बनाम इण्डियन आयर्न ऐण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड**, ए०आई० आर०1970 (एस० सी०) 1298.

Scanned with OKEN Scanner

शीघ्र निष्पादन के लिए चकबन्दी पदाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि भूमि के हकीयत पर निर्णय दे, जिसे सिविल कोर्ट में देखे जाने की दशा में विलम्ब की सम्भावना रहती है। ऐसी हालत में ऐसा प्रावधान रखना अनुचित या अप्रासंगिक नहीं होता। **रामकृत सिंह बनाम बिहार सरकार**, 1979 बी॰बी॰ सी॰ जे॰ 259.

अधिनियम में अपील को स्थान न देने से उसे विरोधात्मक नहीं कहा जा सकता और वह विभेदात्मक नहीं होगा। उपरोक्त निर्णय देखें।

सिविल कोर्ट के अधिकार नहीं होने का भार कहने वाले पर होगा। **श्री वेदगिरी लक्ष्मी नरसिंहम स्वामी टेम्पुल बनाम इन्दुरा पटटामि वामि रेड्डी**, ए॰ आई॰ आर॰1967 (एस॰ सी॰) 781; **सुवा सिंह बनाम महेन्द्र सिंह** (1974) 1 एस॰ सी॰ सी॰ 418। केवल जहाँ चकबन्दी चलती है सिविल कोर्ट हकीयत के मामले को नहीं लेती। चकबंदी नहीं रहने पर उसका अधिकार अछूता है। **नरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम बिहार सरकार**,1980 बी॰ बी॰ सी॰ जे॰ 252 । सिविल कोर्ट को चकबन्दी के फैसले को बदलने या रद्द करने का अधिकार नहीं है। **श्री आनन्दी प्रसाद बनाम श्री नन्दन दास**, 1984 पी॰ एल॰ जे॰ आर॰ 709।]

37.क. अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को सक्षम अधिकारितावाला न्यायालय समझा जायगा ।—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होंने पर भी, इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों या अपीलों की सुनवाई अथवा विवादों का विनिश्चय करते समय समेकन निदेशक, उप-समेकन निदेशक, सहायक समेकन निदेशक, समेकन पदाधिकारी और सहायक समेकन पदाधिकारी को, सक्षम अधिकारितावाला न्यायालय माना जायगा।

37.ख. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को कतिपय विषयों में किसी सिविल न्यायालय में यथानिहित शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे ।—(1)समेकन निदेशक, उप-समेकन निदेशक, सहायक समेकन निदेशक, समेकन पदाधिकारी और सहायक समेकन पदाधिकारी को किसी विवादग्रस्त विषय की सुनवाई करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियाँ, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं—

(क) साक्षियों को हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर अथवा अन्यथा उनकी परीक्षा करना तथा साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करना;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करना;

(ग) अवमान के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड देना।

(2) ऐसे पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई सम्मन, साक्षियों को हाजिर कराने और कोई दस्तावेज पेश करने के निमित्त विवश करने के लिए किसी सिविल न्यायालय द्वारा कार्रवाई में जारी की जा सकनेवाल प्ररूपिक आदेशिका (formal process) के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकेगा और उनके समतुल्य होगा।

38. इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही के लिए परित्राण ।—(1) किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बने किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ न हो सकेंगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर हुए या संभाव्य नुकसान के लिए अथवा हुई या संभाव्य क्षति के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्य वाही न हो सकेगी।

39. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य अधिनियमों पर अभिभावी होना ।—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

40. नियम बनाने की शक्ति ।—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगी:—

(क) सूचनाओं के प्रकाशन की रीति;

(ख) प्रभावित या हितबद्ध व्यक्तियों को सूचनाएँ देने की रीति;

(ग) वह रीति जिससे समेकन पदाधिकारी ग्राम सलाहकार समिति को परामर्श करेगा;

(घ) वह रीति, जिससे कोई व्यक्ति किसी भूमि से निष्कासित किया जा सकेगा;

(ङ) वह रीति, जिससे किसी व्यक्ति से वसूलीय प्रतिकर उसके द्वारा जमा किया जायगा.

(च) पट्टा, बंधक या अन्य विल्लंगम के अंतरण की बाबत समेकन पदाधिकारी का मार्गदर्शन;

(छ) वह रीति, जिससे प्रत्येक पुनर्गठित जोत का क्षेत्र और कर-निर्धारण (जल रेट सहित, यदि कोई हो) अवधारित किया जायगा;

(ज) ऐसे अवयस्कों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति, जिनके हित समेकन कार्यवाही से प्रभावित हो सकेंगे;

(झ) वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण, आवेदन और अपील दाखिल करने, उसकी सुनवाई करने और उसे निपटाने में किया जायगा;

(ट) आवेदनों तथा अपील के ज्ञापनों पर भुगतेय फीस;

(ठ) इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में ग्राम सलाहकार समिति, समेकन पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन; और

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता हो।

(3) इस अधिनियंम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष चौदह दिनों से अन्यून कालावधि के लिए रखे जाएंगे और ये ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन होंगे, जिन्हें राज्य विधान-मंडल उसी सत्र में करे, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हो।

टिप्पणी

इस अधिनियम के अन्दर पारित नियम, इसके भाग समझे जायेंगे। **सीता बनाम यू०पी० सरकार,** ए० आई० आर०1969 इलाहाबाद 342 .

नियमावली के औचित्य का प्रश्न, बराबर खुला है। नियम, कानून के अनुसार ही बनाए गए मान्य हैं, अन्यथा नहीं। **केराला सरकार बनाम के० एम० चारिया अब्दुला ऐण्ड कम्पनी,** 1965 एस० सी०1585 (1965) एस० सी० सी० डब्लू० आर० 680 : (1965) 16 एस० टी० सी० 875, (1965) 2 एस० सी० सी० जे० 461 .

●

बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम 1981

[बिहार अधिनियम 35, 1982][1]

बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए अधिनियम :

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहलायेगा।

Scanned with OKEN Scanner